

छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची

जनवरी-मार्च, 2010 सत्र

बुधवार, दिनांक 17 मार्च, 2010

तारांकित प्रश्नोत्तर

[दिनांक 10 मार्च, 2010 की प्रश्नोत्तर सूची का स्थगित तारांकित प्रश्न संख्या 08 (क्र. 1637)]

जिला रायगढ़ एवं जशपुर में गुमशुदा लोगों के दर्ज प्रकरण

8. (*क्र. 1637) **श्री मोहम्मद अकबर** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नौकरी का प्रलोभन देकर युवक-युवतियों को बाहर ले जाने तथा गुमशुदा लोगों के संबंध में जिला रायगढ़ एवं जशपुर में 2008-09 एवं 2009-10 में दिनांक 16-02-2010 तक थानावार कुल कितने प्रकरण, किनके-किनके विरुद्ध, किन-किन धाराओं में, कब-कब दर्ज किये गये हैं ? (ख) उक्त प्रकरणों में कितने अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है ?

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में नौकरी का प्रलोभन देकर युवक युवतियों को बाहर ले जाने के संबंध में जिला रायगढ़ की जानकारी निरंक है. गुमशुदा लोगों के संबंध में थानावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “अ” में दी गई है. नौकरी का प्रलोभन देकर युवक युवतियों को बाहर ले जाने के संबंध में जिला जशपुर की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “ब” में दी गई है तथा गुमशुदा लोगों के संबंध में जिला जशपुर की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “स” में दी गई है. (ख) जिला रायगढ़ अंतर्गत 31 एवं जिला जशपुर अंतर्गत 34 इस प्रकार कुल 65 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है.

रायपुर जिले अंतर्गत खाद्या सामग्री में मिलावटी के पंजीबद्ध प्रकरण

1. (*क्र. 1694) **डॉ. हरिदास भारद्वाज** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर जिले के अंतर्गत 01 जनवरी, 2009 से 31 दिसम्बर, 2009 तक मिलावटी खाद्य सामग्री के कितने प्रकरण पंजीबद्ध किये गये ? विकासखण्डवार बतावें. (ख) कितने प्रकरणों पर कार्यवाही की गई ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) कुल 56 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये. रायपुर शहर में 50, धरसीवा विकासखण्ड में 02, तिल्दा विकासखण्ड में 03 एवं भाटापारा विकासखण्ड में 01 प्रकरण. (ख) अपमिश्रित/मिथ्याछाप पाये गये 56 प्रकरणों में से 11 प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किये गये हैं तथा शेष 45 प्रकरण विवेचना में है.

कैंसर अस्पताल हेतु वेदांता ग्रुप के साथ निष्पादित एम.ओ.यू.

2. (*क्र. 1613) **शक्राजीत नायक** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कैंसर अस्पताल हेतु छ.ग. शासन एवं वेदांता ग्रुप के बीच एम.ओ.यू. कब किया गया ? (ख) कैंसर अस्पताल छ.ग. शासन द्वारा वेदांता ग्रुप को कहां पर कितनी भूमि का आवंटन कब किया गया है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) कैंसर अस्पताल हेतु छ.ग. शासन एवं वेदांता ग्रुप के बीच एम.ओ.यू. 17 सितम्बर 2009 को किया गया. (ख) एम.ओ.यू. के तारतम्य में राज्य शासन के आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश दिनांक 24 अक्टूबर 2009 के अनुपालन में नया रायपुर डेवलपमेंट अथारिटी द्वारा 20.23 हेक्टेयर भूमि नया रायपुर में आवंटन की सहमति दी गई है, उक्त भूमि में से 16.88 हेक्टेयर भूमि का अग्रिम आधिपत्य दिनांक 11 नवम्बर 2009 को दिया गया है. संबंधित भूमि नया रायपुर लेयर-I के ग्राम खपरी, प.ह.नं.-71/16 तथा ग्राम उपरवारा प.ह.नं.-137/16 में स्थित है.

खुज्जी विधान सभा क्षेत्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिकाओं की भर्ती

3. (*क्र. 1825) **श्री भोलाराम साहू** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिले के खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2008 एवं 2009 में किन-किन आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यकर्ता/सहायिका एवं मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए थे ? (ख) प्रश्नांश “क” में वर्णित किन-किन पदों पर आज पर्यन्त नियुक्ति नहीं की गई है एवं इसका क्या कारण है.

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उसेंडी) : (क) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” अनुसार है. (ख) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” अनुसार है.

प्रदेश में वाणिज्यिककर की प्राप्ति हेतु निर्धारित लक्ष्य

4. (*क्र. 1253) **श्री नंदकुमार साहू** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में वर्ष 2007-08, 2008-09 में वाणिज्यिक कर के रूप में किनती राशि प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था ? लक्ष्य के विरुद्ध कितनी राशि वसूल की गई ? (ख) कितनी फर्म एवं संस्थाओं पर 1.00 लाख रुपये से अधिक की राशि कर के रूप में शेष है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) वर्ष 2007-08 में 3200 करोड़ तथा वर्ष 2008-09 में 3500 करोड़ का वाणिज्यिक कर का लक्ष्य रखा गया था. जिसके विरुद्ध वर्ष 2007-08 में 3023.09 करोड़ तथा वर्ष 2008-09 में 3632.22 करोड़ की वसूली की गई. (ख) 1058 फर्म तथा संस्थाएं.

प्रदेश में गुम इन्सानों के दर्ज प्रकरण

5. (*क्र. 1742) **श्री नंदकुमार पटेल** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जशपुर एवं रायगढ़ में वर्ष 2008, 2009 एवं 2010 में दिनांक 20-2-10 तक गुम इन्सानों के कुल कितने प्रकरण दर्ज किये गये हैं ? प्रत्येक जिले की थानावार जानकारी दें. (ख) कितने-कितने प्रकरणों में गुम इन्सानों की बरामदगी हुई है ? कितने आज पर्यन्त लापता है ?

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में जिला जशपुर एवं रायगढ़ में गुम इंसानों के कुल 862 प्रकरण दर्ज किये गये हैं. थानावार जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में दी गई है. (ख) जिला जशपुर में 224 प्रकरणों में 224 गुम इंसानों में से 171 गुम इंसानों की बरामदगी हुई है एवं 53 गुम इंसान आज पर्यन्त लापता है तथा जिला रायगढ़ में 638 प्रकरणों में 641 गुम इंसानों में से 488 गुम इंसानों की बरामदगी हुई है एवं 153 गुम इंसान आज पर्यन्त लापता है.

अकलतरा विधान सभा क्षेत्रांतर्गत आयुष्मति योजना के तहत लाभान्वित महिलाएं

6. (*क्र. 415) **श्री सौरभ सिंह** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2008-2009 और 2009-10 में 31-12-2009 तक अकलतरा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत आयुष्मति योजना के तहत कुल कितनी महिलाओं को लाभ मिला है ? (ख) उल्लेखित विकासखण्डों में कौन-कौन से मेडिकल स्टोरों को इस योजना के तहत अधिकृत किया गया है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उसेंडी) : (क) अकलतरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत आयुष्मति योजना के तहत वर्ष 2008-09 में 55 तथा वर्ष 2009-10 में 31-12-2009 की स्थिति में 16 महिलाओं को लाभान्वित किया गया है. (ख) अकलतरा विधान सभा क्षेत्र के अकलतरा विकासखंड ‘अरोरा मेडिकल स्टोर अकलतरा’ तथा बलौदा विकासखंड के हितग्राहियों हेतु ‘श्रीराम मेडिकल स्टोर बलौदा’ के अतिरिक्त ‘अशोक मेडिकल स्टोर जांजगीर’ तथा ‘लक्ष्मी मेडिकल स्टोर चांपा’ को भी अधिकृत किया गया है.

जगदलपुर विधान सभा क्षेत्रांतर्गत संचालित स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों की पदस्थापना

7. (*क्र. 1523) **श्री संतोष बाफना** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जगदलपुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत कितने सामुदायिक, प्राथमिक एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है ? (ख) उल्लेखित स्वास्थ्य केन्द्रों में से कितने केन्द्र स्वयं के भवन में संचालित नहीं हैं ? केन्द्र का नाम, ग्राम का नाम बतायें ? (ग) उल्लेखित केन्द्रों में कितने-कितने चिकित्सकों के पद स्वीकृत हैं ? केन्द्रवार बतायें, रिक्त पदों की पदस्थापना कब तक की जावेगी ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-02, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-09, उप स्वास्थ्य केन्द्र-40. (ख) निरंक. प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (ग) † संलग्न परिशिष्ट अनुसार. निश्चित समय-सीमा बता पाना संभव नहीं है.

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों हेतु केन्द्र से प्राप्त तथा व्यय राशि

8. (*क्र. 1828) **श्री राजकमल सिंघानिया** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2007-08, वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में नक्सल उन्मूलन ऑपरेशन तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों हेतु केन्द्र सरकार से कितने वित्तीय सहायता किस-किस मद में प्राप्त हुई ? (ख) उक्त वित्तीय सहायता राशि में से नक्सल प्रभावित ग्रामों में नक्सली उन्मूलन हेतु कितनी राशि व्यय की गई ?

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में नक्सल उन्मूलन ऑपरेशन तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों हेतु केन्द्र सरकार से स्पेशल इन्फ्रास्ट्रक्चर योजना, पुलिस बल आधुनिकीकरण (अतिरिक्त सहायता, पुलिस बल आधुनिकीकरण) (विशेष पैकेज), सीआईएटी स्कूल (विशेष सहायता) एवं सुरक्षा संबंधी व्यय (एस.आर.ई.) योजना के अंतर्गत भारत सरकार से निम्नानुसार सहायता राशि प्राप्त हुई है :—

स.क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2007-08 (राशि लाख में)	वर्ष 2008-09 (राशि लाख में)	वर्ष 2009-10 (राशि लाख में)	योग
1.	स्पेशल इन्फ्रास्ट्रक्चर योजना		2750.00		2750.00
2.	आधुनिकीकरण अतिरिक्त सहायता.		1400.00	400.00	1800.00
3.	आधुनिकीकरण विशेष पैकेज	425.00			425.00
4.	काउण्टर इंसरजेन्सी एण्ड एण्टी टेरेरिज्म (सीआईएटी) स्कूल			450.00	450.00
5.	एस. आर. ई.	2068.80	3747.09	459.99	6275.88
	योग	2493.8	7897.09	1309.99	11700.88

(ख) प्राप्त राशि में से रुपये 15,93,154/- की राशि नक्सल प्रभावित ग्रामों में नक्सल उन्मूलन हेतु व्यय की गई है.

सहकारिता विभाग में वैद्यनाथन कमेटी की अनुशंसा के आधार पर आर्थिक सहायता

9. (*क्र. 1814) **डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वैद्यनाथन कमेटी की अनुशंसा अनुसार प्रदेश के छः जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों तथा सम्बद्ध 1333 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को कुल कितनी राशि की आर्थिक सहायता का आंकलन किया गया है ? (ख) आर्थिक सहायता के रूप में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा नाबार्ड से कितनी-कितनी राशि अभी तक प्रदाय की जा चुकी है ? जिलेवार बतायें ? (ग) आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु किनके-किनके बीच एम.ओ.यू. हुआ है एवं उसकी शर्तें क्या-क्या हैं ?

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) वैद्यनाथन कमेटी की अनुशंसा अनुसार छ: जिला सहकारी केन्द्रीय सहकारी बैंकों को कुल राशि रु. 1,65,83,68,954.00 एवं बैंकों से सम्बद्ध 1333 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को कुल राशि रु. 5,15,92,89,639.51 की आर्थिक सहायता का आंकलन किया गया है. (ख) जानकारी पुस्तकालय परिशिष्ट “अ” पर है. (ग) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, एवं नाबार्ड के बीच एम.ओ.यू. हुआ है एवं उसकी शर्तें पुस्तकालय परिशिष्ट “ब” पर है.

रायपुर जिले में पुलिस चौकियों में स्वीकृत एवं रिक्त पद

10. (*क्र. 1834) **डॉ. शिवकुमार डहरिया** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर जिले में कुल कितने पुलिस थाना एवं चौकियां स्वीकृत हैं ? इन थाना एवं चौकियों में कितने पद स्वीकृत हैं ? कितने पद रिक्त हैं ? थाना एवं चौकीवार जानकारी दें ? (ख) रिक्त पदों की पूर्ति के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) रायपुर जिले में कुल 48 पुलिस थाना एवं 15 पुलिस चौकियां स्वीकृत हैं. स्वीकृत थानों एवं चौकियों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर है. (ख) पदोन्नति/सीधी भर्ती द्वारा रिक्त पदों को भरने की यथासंभव कार्यवाही की जा रही है.

जिला जांजगीर-चांपा में स्वीकृत खेल मैदान/मिनी स्टेडियम के निर्माण की स्थिति

11. (*क्र. 968) **श्री नारायण चंदेल** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला जांजगीर-चांपा में जिले के किन-किन स्थानों में शासन द्वारा खेल मैदान/मिनी स्टेडियम कब-कब स्वीकृत किए गए हैं ? क्या खेल मैदान या मिनी स्टेडियम का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है ? यदि हां तो, कितने स्थानों पर कार्य पूर्ण है तथा कितने स्थानों पर अपूर्ण है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उर्सेडी) : जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट पर है.

विकासखण्ड भाटापारा एवं सिमगा की आनावरी रिपोर्ट

12. (*क्र. 1076) **श्री चैतराम साहू** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर जिले के विकासखण्ड भाटापारा एवं सिमगा क्षेत्र में वर्तमान आनावरी रिपोर्ट कितना प्रतिशत मूल्यांकन किया गया है ? (ख) आनावरी रिपोर्ट के आधार पर सूखा ग्रस्त ग्रामों में क्या-क्या कार्य प्रारंभ कराये गये हैं ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) खरीफ फसल वर्ष 2009 की वास्तविक आनावरी के आधार पर रायपुर जिले के भाटापारा एवं सिमगा तहसील में से केवल भाटापारा तहसील को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है. (ख) आनावरी के आधार पर तहसील को सूखा घोषित किया जाता है, पृथक से ग्रामों को नहीं.

बालको कोरबा में चिमनी के गिरने की जांच तथा गिरफ्तारी

13. (*क्र. 1845) **श्री मोहम्मद अकबर** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला कोरबा में बालको चिमनी हादसे से संबंधित अपराधिक प्रकरण में चिमनी गिरने के कारणों की जांच किनके-किनके द्वारा की गई ? जांच में चिमनी गिरने के क्या कारण पाए गए ? (ख) प्रकरण में किनकी-कितनी गिरफ्तारी हुई है तथा कौन-कौन जमानत में रिहा कर दिए गए हैं ? (ग) गृह मंत्री जी की विधान सभा में घोषणा दिनांक 13-1-2010 के अनुसार अब तक किनसे-किनसे पूछताछ हुई है ?

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) चिमनी हादसे के अपराधिक प्रकरण की विवेचना थाना प्रभारी निरीक्षक श्री विवेक शर्मा, थाना-बालको द्वारा की जा रही है. चिमनी गिरने के कारणों के संबंध में एन.आई.टी. रायपुर से जांच कराई गई है. श्री संदीप बख्शी, जिला एवं सत्र

न्यायाधीश, रायपुर द्वारा भी चिमनी गिरने के कारणों की न्यायिक जांच की जा रही है। एन.आई.टी. द्वारा की गई जांच में पाया गया कि :-

- i. मृदा परीक्षण निर्धारित मापदण्ड के अनुसार नहीं किया गया था।
- ii. स्तरहीन निर्माण प्रक्रिया एवं निर्माण कौशल, स्तरहीन निर्माण सामग्री, पर्यवेक्षण का अभाव, गुणवत्ता नियंत्रण में त्रुटियां, तकनीकी नियंत्रण में कमी तथा निर्माण विषयक गंभीर त्रुटि के कारण यह घटना हुई।

(ख) प्रकरण में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों एवं जमानत पर रिहा किये गये व्यक्तियों की सूची † संलग्न प्रपत्र “अ” पर है। (ग) प्रकरण में अभी तक जिन व्यक्तियों से पूछताछ की गई है उनकी सूची † संलग्न प्रपत्र “ब” पर है।

बाल संप्रेषण गृह में अव्यवस्था की शिकायतों पर कार्यवाही

14. (*क्र. 1633) **श्री देवजी भाई पटेल** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कितने बाल संप्रेषण गृह हैं, और इनमें कितने बच्चे रखे गए हैं ? (ख) क्या बाल संप्रेषण गृहों में अव्यवस्था के संबंध में वर्ष 2009-10 में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां तो, क्या कार्यवाही की गई ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उर्सेडी) : (क) प्रदेश में संप्रेषण गृहों की संख्या 06 है। इनमें निरुद्ध किशोर/किशोरियों की संख्या 279 है। (ख) 1. जी हां। 2. संप्रेषण गृह (बालक), अम्बिकापुर, जिला सरगुजा (छ. ग.) में आवास संबंधी अव्यवस्था की शिकायत अंतः वासियों द्वारा की गई थी। दिनांक 10-01-2010 को किराये के भवन से स्वयं के भवन में स्थानान्तरित कर आवास संबंधी समस्या का निराकरण किया गया।

सूखा ग्रस्त घोषित तहसीलों की संख्या तथा उनमें स्वीकृत श्रमबाहुल्य कार्य

15. (*क्र. 1264) **श्री रविन्द्र चौबे** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 2009-10 में सूखा ग्रस्त घोषित तहसीलों की संख्या कितनी है ? जिलेवार, तहसील के नामों की जानकारी दें ? (ख) दुर्ग जिले की सूखा प्रभावित तहसीलों में कितने श्रमबाहुल्य कार्य स्वीकृत किए गए तथा कितने मजदूरों को कार्य उपलब्ध कराया गया है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) वर्ष 2009-10 में खरीफ फसल की वास्तविक आनावारी के आधार पर सूखाग्रस्त घोषित जिलेवार तहसीलों का नाम †† संलग्न परिशिष्ट पर है। (ख) दुर्ग जिले की सूखा प्रभावित तहसीलों में कुल 11819 कार्य स्वीकृत किये गये तथा 3,51,506 मजदूरों को कार्य उपलब्ध कराया गया।

जिला रायपुर के सूखाग्रस्त घोषित विकासखण्ड

16. (*क्र. 1016) **श्री रूद्रकुमार गुरु** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या खरीफ वर्ष 2009-10 की रायपुर जिले के विकासखण्डवार अनावारी रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है ? (ख) यदि हां तो, किन-किन विकासखण्डों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है ? (ग) सूखाग्रस्त घोषित विकासखण्डों के कृषकों एवं मजदूरों के लिए शासन के द्वारा क्या कोई योजना तैयार की गयी है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) रायपुर जिले के तहसीलवार आनावारी रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। (ख) भाटापारा, बलोदाबाजार, कसडोल तथा बिलाईगढ़ तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। (ग) आवश्यकतानुसार रोजगार मूलक कार्यों का संचालन तथा पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।

प्रदेश की बैंकों में हुई लूट की घटनाएं

17. (*क्र. 98) **श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों में बैंकों में लूट की कितनी घटनाएं हुयी हैं ? कितने रुपयों की लूट हुयी है, ऐसी वारदातों के बाद कितने आरोपी पकड़े गये हैं और कितने लोगों को सजा हुयी है ?

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : छत्तीसगढ़ राज्य में पिछले तीन वर्षों में बैंकों में हुई लूट की घटनाओं की संख्या, लूटी गई राशि, पकड़े गये आरोपियों की संख्या एवं न्यायालय से सजा पाये आरोपियों की संख्या की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दी गई है।

विधान सभा क्षेत्र नवागढ़ के ग्राम पंचायत केशला के जोगीद्वीप मेला हेतु निर्धारित स्थल का रजिस्ट्रेशन

18. (*क्र. 1810) **श्री दयाल दास बघेल** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र नवागढ़ के ग्राम पंचायत केशला के जोगीद्वीप जहां प्रतिवर्ष मेला भरता है उस जमीन को जोगीद्वीप मेला समिति के नाम से किस आधार पर दर्ज किया गया है ? (ख) वर्तमान में समिति में कौन-कौन सदस्य हैं एवं क्या उसका रजिस्ट्रेशन किया गया है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) सर्वराकार हीरूराम आ. रामभरोसा के फौत हो जाने पर आवेदक राजेन्द्र शर्मा निवासी केशला के आवेदन पर नायब तहसीलदार नादघाट के द्वारा रा.प्र.क्र. 73 अ 6/06-07 में पारित आदेश दिनांक 25-09-2007 के अनुसार मृतक सर्वराकार हीरूराम आ. रामभरोसा का नाम विलोपित कर जोगीद्वीप मूर्ति मंदिर मानस सेवा समिति योगीद्वीप केशला के नाम पर दर्ज किया गया है. (ख) वर्तमान में समिति में अध्यक्ष श्री राजेन्द्र शर्मा उपाध्यक्ष श्री राजेन्द्र तिवारी, सचिव श्री अंबिका मिश्रा, कोषाध्यक्ष श्री नरेन्द्र शर्मा एवं सदस्य श्री प्रफुल्ल शर्मा, श्री बालमुकुंद शर्मा, श्री रामशरण साहू, श्री रामकुमार देवांगन, श्री रविन्द्र दीवान, श्री कन्हैयाधर दीवान आदि हैं तथा समिति का रजिस्ट्रेशन किया गया है, रजि. क्र. 3604 दिनांक 06-04-2004 है.

जिला जांजगीर-चांपा में प्रारंभ किए गए नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र

19. (*क्र. 1649) **श्री दूजराम बौद्ध** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर-चांपा जिले के विकासखण्डों में 1 दिसम्बर, 2008 से 17-02-10 तक कुल कितने नये आंगनबाड़ी केन्द्र खोले गये हैं ? (ख) कितने केन्द्रों में भवन निर्माण हुए हैं ? कितने केन्द्र किराये से संचालित हैं ? (ग) खोले गये नये केन्द्रों की विकासखंडवार एवं ग्रामवार जानकारी दें.

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उसेंडी) : (क) जांजगीर-चांपा जिले के विकासखंडों में 1 दिसम्बर 2008 से 17-02-10 तक 119 नवीन आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन प्रारंभ किया गया है. (ख) प्रश्नाधीन अवधि में प्रारंभ किये गए 119 आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 2 आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु भवन स्वीकृत है किन्तु भवन निर्माण नहीं हुआ है. 114 आंगनबाड़ी केन्द्र किराए के भवन में संचालित हैं. शेष 5 आंगनबाड़ी केन्द्रों में से एक आंगनबाड़ी केन्द्र ग्राम पंचायत भवन तथा चार आंगनबाड़ी केन्द्र सामुदायिक भवन में चल रहे हैं. (ग) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है.

बसना विधान सभा क्षेत्र के स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों के स्वीकृत एवं रिक्त पद

20. (*क्र. 1817) **श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बसना विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं ? नाम सहित बतावें. (ख) उक्त अस्पताल में डाक्टर्स के कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितने कार्यरत हैं ? अलग-अलग बतावें. रिक्त पद की पूर्ति कब तक की जावेगी ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) 02 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 06 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 52 उप स्वास्थ्य केन्द्र. †† संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार. (ख) 28 पद स्वीकृत 10 कार्यरत. †† संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार. निश्चित समय-सीमा बता पाना संभव नहीं है.

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना अंतर्गत सम्मिलित निजी/शासकीय चिकित्सालय

21. (*क्र. 1823) **डॉ. हरिदास भारद्वाज** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना अंतर्गत राज्य के किन-किन जिलों के कितने निजी व सरकारी अस्पतालों को सम्मिलित किया गया ? (ख) 31 जनवरी, 2010 की स्थिति में कितने बी.पी.एल. कार्डधारियों को स्मार्ट कार्ड जारी किया गया जिलेवार बतायें ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) ‡ संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार. (ख) ‡ संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार.

राजनांदगांव जिला में बी.पी.एल. कार्डधारियों को जारी स्मार्ट कार्ड

22. (*क्र. 1826) **श्री भोलाराम साहू** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिले में दिनांक 22-02-2010 की स्थिति में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजनान्तर्गत कितने बी.पी.एल. कार्डधारियों को स्मार्ट कार्ड जारी किया गया ? विधान सभा क्षेत्रवार जानकारी दें ? (ख) उक्त योजना अंतर्गत स्मार्ट कार्डधारियों को कितनी फीस दिए जाने पर, कितनी राशि का इलाज किया जाता है ? (ग) उक्त योजना कौन-कौन से निजी एवं शासकीय चिकित्सालयों में लागू है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) 42694 कार्डधारियों को. † संलग्न प्रपत्र “अ” अनुसार. (ख) कोई फीस नहीं ली जाती. 30,000/- राशि. (ग) † संलग्न प्रपत्र “ब” अनुसार.

प्रदेश में दलिया तथा ब्रेड प्रदाय हेतु आमंत्रित निविदा

23. (*क्र. 1254) **श्री नंदकुमार साहू** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के 18 जिलों में वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 के लिए दलिया और ब्रेड प्रदाय करने हेतु निविदाएं कब निकाली गई तथा किन-किन फर्मों ने निविदा भरी. (ख) किस निविदाकार की न्यूनतम दर को स्वीकृति प्रदाय की गई ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उसेंडी) : (क) वित्तीय वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में दलिया एवं ब्रेड प्रदाय हेतु विभाग के द्वारा कोई निविदा आमंत्रित नहीं की गई थी. (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर के संदर्भ में प्रश्न ही नहीं उठता.

प्रदेश में वाणिज्यिक कर की वसूली

24. (*क्र. 1743) **श्री नंदकुमार पटेल** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में वाणिज्यिक कर जांच की कुल कितनी चौकी किन-किन स्थानों पर है ? जांच चौकियों में वर्ष 2009-10 में (31-12-2009) तक कितनी-कितनी राशि वाणिज्यिक कर के रूप में वसूली की गई ? (ख) क्या विभाग को बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों की जारी बिल्टियों में गड़बड़ी की शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां तो, इस शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) कुल 6 चौकियां पाटेकोहरा जिला राजनांदगांव, पोड़ी जिला कबीरधाम, खम्हारपाली (भोथलडीह) जिला महासमुंद, लोदाम जिला जशपुर, वाडूपनगर जिला सरगुजा तथा केशलूर जिला जगदलपुर (बस्तर) में स्थापित है. इन जांच चौकियों में वाणिज्यिक कर राशि की वसूली नहीं की जाती है. (ख) जी नहीं. प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

अकलतरा विधान सभा क्षेत्र में संचालित उप स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पदों की पूर्ति

25. (*क्र. 416) **श्री सौरभ सिंह** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अकलतरा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र कहां-कहां पर संचालित हैं ? (ख) इन केन्द्रों में कितने कर्मचारियों का सेटअप स्वीकृत है ? रिक्त पदों पर कब तक नियुक्ति होगी ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) 40. †† संलग्न परिशिष्ट अनुसार. (ख) इन केन्द्रों में 80. प्रत्येक केन्द्र में 01 महिला एवं 01 पुरुष, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता. निश्चित समय-सीमा बता पाना संभव नहीं है.

नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

सीमेंट तथा क्लींकर उत्पादन पर लगाये जाने वाले कर

1. (क्र. 429) **श्री सौरभ सिंह** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रति बोरी सीमेंट उत्पादन पर कितना-कितना और किस-किस प्रकार का कर लगाया जाता है ? सीमेंट उद्योगों द्वारा क्लींकर उत्पादन पर कितना-कितना और किस-किस प्रकार का कर लगाया जाता है ? (ख) राज्य के बाहर से क्लींकर आयात करने पर सीमेंट उद्योगों पर कौन-कौन सा कर, किस दर पर लगाया जाता है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) प्रति बोरी सीमेंट उत्पादन पर राज्य शासन द्वारा कोई कर नहीं लगाया जाता. क्लींकर उत्पादन पर भी कोई कर नहीं लगाया जाता. (ख) कोई कर नहीं लगाया जाता है.

चिकित्सालयों में रेडक्रास सोसायटी के तहत दवा दुकान संचालन संबंधी मापदण्ड

2. (क्र. 1651) **श्री नारायण चंदेल** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय अस्पतालों में रेडक्रास की दवाई की दुकानें निजी लोगों को संचालन हेतु दिए जाने के क्या मापदण्ड हैं ? (ख) जिला जांजगीर-चांपा में किन-किन चिकित्सालयों में रेडक्रास के तहत दवाई दुकान कब-कब से किनके-किनके द्वारा संचालित की जा रही है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) † संलग्न परिशिष्ट अनुसार. (ख) मात्र जिला चिकित्सालय जांजगीर-चांपा में दिसम्बर 2007 से श्री देवेश कुमार सिंह पिता श्री चन्द्रहास सिंह, डी. के. मेडिकल स्टोर्स द्वारा संचालित की जा रही है.

जिला रायपुर की आनावारी रिपोर्ट तथा सूखाग्रस्त ग्रामों हेतु तैयार राहत पैकेज

3. (क्र. 1772) **श्री चैतराम साहू** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या खरीफ वर्ष 2009-10 की रायपुर जिले की विकासखण्डवार आनावारी रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है ? (ख) यदि हां, तो किन-किन विकासखण्डों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है ? (ग) सूखाग्रस्त घोषित विकासखण्ड में कृषकों एवं मजदूरों के लिए राज्य शासन द्वारा क्या कोई राहत पैकेज तैयार किया गया है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) रायपुर जिले के तहसीलवार आनावारी रिपोर्ट प्राप्त हो गई है. (ख) भाटापारा, बलोदाबाजार, कसडोल तथा बिलाईगढ़ तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है. (ग) आवश्यकतानुसार रोजगार मूलक कार्यों का संचालन तथा पेयजल की व्यवस्था की जा रही है.

बसना एवं पिथौरा विकासखंड अंतर्गत बाढ़ आपदा से क्षतिग्रस्त पुल पुलिया के मरम्मत हेतु स्वीकृत राशि

4. (क्र. 1818) **श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि महासमुन्द जिले के बसना एवं पिथौरा विकासखंड अंतर्गत 1 जनवरी, 2008 से 30 जून, 2009 तक बाढ़ आपदा मद से कितने क्षतिग्रस्त पुल पुलिया मरम्मत हेतु कितनी-कितनी राशि की स्वीकृति प्रदान की गई विकासखंडवार बतावें ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : महासमुन्द जिले के बसना एवं पिथौरा विकासखण्ड अंतर्गत 1 जनवरी 2008 से 30 जून 2009 तक बाढ़ आपदा मद से क्षतिग्रस्त पुल पुलिया मरम्मत हेतु कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई है. प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

मेडिकेटेड मच्छरदानी की खरीदी हेतु आमंत्रित निविदाएं

5. (क्र. 1819) **श्री देवजी भाई पटेल** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में मेडिकेटेड मच्छरदानी खरीदी हेतु निविदाएं कब-कब आमंत्रित की ? कितने सप्लायरों ने भाग लिया ? उनके नाम व पता सहित ब्यौरा दें ? (ख) कंडिका "क" के तहत कितनी लागत की मच्छरदानियां किन सप्लायर से खरीदी गई ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) जी नहीं. प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

स्तरहीन दलिया प्रदाय की शिकायतों पर कार्यवाही

6. (क्र. 1835) **डॉ. शिवकुमार डहरिया** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा वर्ष 2007-08, 2008-09 एवं 2009-10 में कुल कितना-कितना दलिया, किनसे-किनसे, किस दर पर, किस आधार पर क्रय किया गया है ? (ख) उक्त प्रदायकर्ता फर्मों से किस-किस फर्म के विरुद्ध घटिया एवं स्तरहीन दलिया प्रदाय की शिकायतें प्राप्त हुई थी ? शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उर्सेडी) : (क) विभाग द्वारा वर्ष 2007-08, 2008-09 एवं 2009-10 में दलिया क्रय नहीं किया गया अतः जानकारी निरंक है. (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर के संदर्भ में प्रश्न ही नहीं उठता.

अतारांकित प्रश्नोत्तर

दंतेवाड़ा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत प्रदत्त जमीन के पट्टे

1. (क्र. 342) **श्री भीमा मण्डावी** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्व विभाग द्वारा दंतेवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2008-09 में कुल कितने परिवारों को जमीन का पट्टा प्रदाय किया गया है तथा कितने प्रकरण लंबित है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : राजस्व विभाग द्वारा दंतेवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2008-09 में जमीन का पट्टा वितरित नहीं किया गया है. जानकारी निरंक है.

जिला दंतेवाड़ा में आबकारी विभाग द्वारा राजस्व की प्राप्ति

2. (क्र. 343) **श्री भीमा मण्डावी** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि दंतेवाड़ा जिले में आबकारी विभाग द्वारा वर्ष 2008-09 में कुल कितने राजस्व की प्राप्ति की गई ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : कुल रुपये 8,90,94,645/- राजस्व की प्राप्ति की गई.

सेवानिवृत्त सैनिकों को जमीन आवंटन की प्रक्रिया

3. (क्र. 452) **श्री सौरभ सिंह** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सेवानिवृत्त सैनिकों को जमीन आवंटन की क्या प्रक्रिया है ? (ख) पिछले तीन वित्तीय वर्षों में कितने सेवानिवृत्त सैनिकों को कितनी-कितनी जमीन आवंटित हुई है ? (ग) जांजगीर-चांपा, बिलासपुर, कोरबा और जशपुर जिलों में कितने लोगों के आवेदन लंबित हैं ? इस पर कब तक कार्यवाही होगी ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” अनुसार है. (ख) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” अनुसार है. (ग) जांजगीर-चांपा जिले में 5, बिलासपुर जिले में 12 एवं कोरबा जिले में 1 आवेदन लंबित है. समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है. जशपुर जिले में कोई आवेदन लंबित नहीं है.

प्रदेश में एलोपैथिक चिकित्सक के स्वीकृत एवं रिक्त पद

4. (क्र. 1275) **श्री रविन्द्र चौबे** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य में एलोपैथिक चिकित्सक के जिलेवार कितने पद स्वीकृत एवं भरे हुए हैं ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : †† संलग्न परिशिष्ट अनुसार.

जांजगीर-चांपा जिले के तहसीलवार पटवारी हल्कों की संख्या तथा उनमें पटवारियों के रिक्त पद

5. (क्र. 1385) **डॉ. शिवकुमार डहरिया** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर-चांपा जिले में कुल कितने पटवारी हल्का है ? तहसीलवार बतावें ? (ख) पामगढ़ राजस्व अनुविभाग में कितने पटवारी हल्का है ? (ग) प्रश्नांश “ख” में उल्लेखित पटवारी हल्कों में से किस-किस पटवारी हल्का में पटवारियों के पद कब से रिक्त है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) जिला जांजगीर-चांपा में कुल 232 पटवारी हल्का है. तहसीलवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” अनुसार है. (ख) पामगढ़ राजस्व अनुविभाग में 27 पटवारी हल्का है. (ग) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” अनुसार है.

महिला एवं बाल विकास विभाग को विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं हेतु केन्द्र से प्राप्त राशि

6. (क्र. 1386) **डॉ. शिवकुमार डहरिया** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में 31 दिसम्बर, 2010 तक महिला एवं बाल विकास विभाग में किन-किन योजनाओं/परियोजनाओं के लिए केन्द्र शासन से कितनी राशि प्राप्त हुई है ? (ख) प्राप्त राशि में से कितनी-कितनी राशि व्यय की गई है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उसेंडी) : (क) एवं (ख) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है.

जिला जांजगीर-चांपा में आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में रिक्त पदों की पूर्ति

7. (क्र. 1417) **महन्त रामसुन्दर दास** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर-चांपा में कुल कितने शासकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय हैं ? विकासखण्डवार बतायें. (ख) उक्त शासकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में स्वीकृत पद कितने-कितने हैं एवं स्वीकृत पदों के विरुद्ध सेवारत कितने हैं ? प्रत्येक संस्था का पृथक-पृथक बतायें. (ग) शासकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जावेगी ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) जिला जांजगीर-चांपा में शासकीय आयुर्वेद चिकित्सालय नहीं, अपितु 54 शासकीय आयुर्वेद औषधालय हैं. विकासखण्डवार औषधालयों की जानकारी निम्नानुसार है :-

- (1) जैजैपुर-06 (2) मालखरौदा-05 (3) बलौदा-06 (4) डभरा-06 (5) पामगढ़-06
(6) सक्ती-06 (7) अकलतरा-07 (8) बम्हनीडीह-04 (9) नवागढ़-08.

(ख) जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट पर उपलब्ध है. (ग) रिक्त पदों की पूर्ति यथा संभव की शीघ्र की जावेगी. निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

प्रदेश में होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी एवं यूनानी चिकित्सा अधिकारी के स्वीकृत तथा कार्यरत पद

8. (क्र. 1453) **श्री ताप्रध्वज साहू** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी एवं यूनानी चिकित्सा अधिकारी के कितने पद स्वीकृत हैं ? स्वीकृत पदों के विरुद्ध कितने चिकित्सा अधिकारी कार्यरत हैं ? (ख) रिक्त पदों की भर्ती हेतु क्या कार्यवाही की गई है तथा भर्ती कब तक की जाएगी ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) प्रदेश में होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी के 76 एवं यूनानी चिकित्सा अधिकारी के 26 पद स्वीकृत हैं. स्वीकृत पदों के विरुद्ध होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी 15 एवं यूनानी चिकित्सा अधिकारी 06 कार्यरत हैं. (ख) रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है. निश्चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है.

जनपद पंचायत बरमकेला में राष्ट्रीय परिवार सहायता के तहत प्राप्त आवेदनों का निराकरण

9. (क्र. 1622) **डॉ. शक्राजीत नायक** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि 2007-08 एवं 2008-09 में रायगढ़ जिले के जनपद पंचायत, बरमकेला में राष्ट्रीय परिवार सहायता के कितने-कितने आवेदन कब-कब प्राप्त हुए ? कितने आवेदन का निराकरण किया गया एवं कितने हितग्राहियों का भुगतान किया जाना शेष है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उसेंडी) : 2007-2008 की जानकारी ‡ संलग्न प्रपत्र "अ" पर एवं 2008-2009 की जानकारी ‡ संलग्न प्रपत्र "ब" पर है. हितग्राहियों को भुगतान किया जाना शेष नहीं है.

बस्तर जिले में राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत आयोजित परिवार नियोजन शिविर

10. (क्र. 1662) **श्री बैदूराम कश्यप** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2008-09 में बस्तर जिले में कितने परिवार नियोजन शिविरों का आयोजन किया गया ? प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रवार जानकारी दें।

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : 576 शिविरों का आयोजन किया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोण्डागांव में 52, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बस्तर में 51 तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आडावाल में 12 एवं शेष 461 शिविर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सिविल अस्पताल में आयोजित किये गये हैं।

रायगढ़ जिला में एच. आई. व्ही.टेस्ट में पॉजीटिव पाए गए एड्स के मरीज

11. (क्र. 1748) **श्री नंदकुमार पटेल** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनवरी 2009 से जनवरी 2010 तक रायगढ़ जिले में कुल कितने व्यक्तियों का एच.आई.व्ही. टेस्ट किया गया ? परीक्षण केन्द्रवार जानकारी दें ? (ख) एच.आई.व्ही. परीक्षण में कितने मरीज पॉजीटिव पाये गये एवं जिन व्यक्तियों का एच.आई.व्ही. टेस्ट पॉजीटिव पाया गया उनके ईलाज हेतु क्या व्यवस्था की गई है ? (ग) एड्स नियंत्रण के लिये कौन-कौन से उपाय किये जा रहे हैं एवं क्या कोई विशेष अभियान चलाया जा रहा है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) कुल 7709 व्यक्ति परीक्षण केन्द्रवार जानकारी निम्नानुसार है :—

क्र.	आई.सी.टी.सी. एवं एच.आई.व्ही. टेस्ट केन्द्र	एच.आई.व्ही. टेस्ट
1.	सामु. स्वा. केन्द्र बरमकेला	259
2.	सामु. स्वा. केन्द्र सारंगढ़	1985
3.	सामु. स्वा. केन्द्र पुसौर	1185
4.	सामु. स्वा. केन्द्र घरघोड़ा	1377
5.	सामु. स्वा. केन्द्र लैलूंगा	394
6.	सिविल अस्पताल खरसिया	1740
7.	जिला चिकित्सालय रायगढ़	769
योग		7709

(ख) 29 व्यक्तियों का एच.आई.व्ही. टेस्ट पॉजीटिव पाया गया, सभी एच.आई.व्ही. टेस्ट पॉजीटिव व्यक्तियों के ईलाज हेतु मेडिकल कॉलेज रायपुर रिफर किया गया। (ग) एड्स नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के प्रावधानों के अनुसार सघन प्रचार-प्रसार एवं अशासकीय संस्थाओं के माध्यम से लक्षित हस्तक्षेप कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है।

रायगढ़ जिला में निःशक्त जनों को रोजगार हेतु प्रदत्त अनुदान

12. (क्र. 1749) **श्री नंदकुमार पटेल** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिला में वर्ष 2008-2009 एवं 2009-10 में किन-किन स्थानों पर निःशक्त जन शिविरों का आयोजन कब-कब किया गया ? (ख) उक्त अवधि में जिले में कितने निःशक्त जनों को रोजगार हेतु शासन द्वारा कितनी अनुदान सहयोग राशि स्वीकृत की गई ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उसेंडी) : (क) वर्ष 2008-2009 में निःशक्तजन शिविरों का आयोजन नहीं किया गया है। वर्ष 2009-2010 में † संलग्न परिशिष्ट अनुसार शिविरों का आयोजन किया गया। (ख) निःशक्तजनों को रोजगार हेतु अनुदान सहयोग राशि स्वीकृत नहीं की जाती है, अपितु छत्तीसगढ़ निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम के द्वारा निःशक्तजनों को स्वरोजगार हेतु दिये गये ऋण का तीन वर्ष की अवधि में लगातार नियमित किस्त की वापसी पर शेष राशि में सब्सिडी दी जाती है। छत्तीसगढ़ निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम द्वारा 2008-2009 में 37 निःशक्तजनों को राशि रुपये 134.85 लाख तथा वर्ष 2009-10 में 4 निःशक्तजनों को राशि रुपये 4.20 लाख ऋण स्वीकृत किये गये हैं। उत्थान सब्सिडी योजना अंतर्गत रायगढ़ जिले में स्वरोजगार हेतु ऋण प्राप्त 1 निःशक्त व्यक्ति को राशि रुपये 1,12,500/- की सब्सिडी देकर लाभांशित किया गया है।

गांवों के नाम परिवर्तन एवं भूमि विवादों को कम करने हेतु कराए गए सर्वे

13. (क्र. 1796) **श्री जगेश्वर राम भगत** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि राज्य शासन ने वर्ष कुछ गांवों के नाम बदलने एवं भूमि विवादों को कम करने के लिए नए सिरे से सर्वे कराये जाने का निर्णय लिया गया था? (ख) यदि हां तो, कृपया बताइये कि, जिलेवार कितने गांवों के नाम बदलने और किन जिलों की भूमि का पुनः सर्वे 31 जनवरी, 2010 की स्थिति में कराया जा चुका है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) गांवों का नाम बदलने एवं भूमि विवादों को कम करने के लिए नये सिरे से सर्वे कराये जाने का निर्णय नहीं किया गया है. (ख) जानकारी निरंक है.

प्रदेश में अतिरिक्त जेल निर्माण बाबत

14. (क्र. 1798) **श्री जगेश्वर राम भगत** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के जेलों में क्षमता से अधिक बंदियों को रखे जाने की समस्या को हल करने के लिए क्या सरकार अतिरिक्त जेलों का निर्माण कराने जा रही है ? (ख) यदि हां तो, किन स्थानों पर ? (ग) इनमें कितने बंदियों को रखे जाने की क्षमता होगी ?

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) जी हां. (ख) केन्द्रीय जेल जगदलपुर में नवीन जेल, केन्द्रीय जेल बिलासपुर में नवीन जेल, केन्द्रीय जेल अंबिकापुर में नवीन जेल, सक्ती में उप जेल, सारंगढ़ में उप जेल, मुंगेली में उप जेल, बीजापुर में उप जेल, कवर्धा में उप जेल का निर्माण कराया जा रहा है. (ग) निर्माणाधीन जेलों में कुल 1800 बंदियों को रखे जाने की क्षमता होगी.

रायगढ़ एवं जांजगीर-चांपा जिले में वाणिज्यिक कर की बकाया राशि की वसूली हेतु कार्यवाही

15. (क्र. 1799) **श्री जगेश्वर राम भगत** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ एवं जांजगीर-चांपा जिले में संचालित कितने उद्योगों से वाणिज्यिक कर की राशि बकाया है ? (ख) भुगतान योग्य शेष राशि 31 जनवरी, 2010 की स्थिति में कितनी है ? (ग) लंबित राशि की वसूली हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) 45 उद्योगों से. (ख) रुपये 84.77 लाख है. (ग) छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 के अधीन कार्यवाही की जा रही है.

नर्सिंग कालेजों के शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्तियां संबंधी

16. (क्र. 1822) **श्री देवजी भाई पटेल** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर में कितनी निजी नर्सिंग कालेज कब से संचालित है ? (ख) कंडिका "क" के कालेजों में शैक्षणिक पदों पर क्या निर्धारित योग्यता के आधार पर शैक्षणिक स्टाफ कार्यरत हैं ? (ग) कंडिका "ख" की नियुक्तियों में राज्य शासन की अनुशंसा अनिवार्य है ? क्या किए गए नियुक्तियों में अनुशंसा प्राप्त की गई ? यदि नहीं तो, क्यों ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) रायपुर में 05 निजी नर्सिंग कॉलेज संचालित है. जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर उपलब्ध है. (ख) जी हां. (ग) जी नहीं. प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

आंगनवाड़ी केन्द्रों में कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं की नियुक्ति हेतु निर्धारित नियम एवं मापदण्ड

17. (क्र. 1839) **डॉ. शिवकुमार डहरिया** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर जिले के बिलाईगढ़ एवं कसडोल विकासखण्ड में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के कितने पद स्वीकृत हैं ? कितने नियुक्त हैं ? विकासखण्डवार जानकारी दें ? (ख) आंगनवाड़ी केन्द्रों में कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं की नियुक्ति हेतु क्या-क्या मापदंड एवं नियम निर्धारित किये गये हैं ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उसेंड़ी) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “क” अनुसार है. (ख) छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका तथा मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति से संबंधित निर्देश में आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं की नियुक्ति हेतु निर्धारित मापदण्ड एवं नियम उल्लेखित है. निर्देश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “ख” में है.

पंडरिया विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत राष्ट्रीय परिवार सहायता के भुगतान हेतु लंबित प्रकरण

18. (क्र. 1846) **श्री मोहम्मद अकबर** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि पंडरिया विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत जनपद पंचायतों में राष्ट्रीय परिवार सहायता के कितने-कितने प्रकरण भुगतान हेतु/स्वीकृति हेतु लंबित हैं ? कब तक भुगतान/स्वीकृति प्रदान की जाएगी ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उसेंड़ी) : पंडरिया विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जनपद पंचायतों में राष्ट्रीय परिवार सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत भुगतान अथवा स्वीकृति हेतु कोई प्रकरण लंबित नहीं है. प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

जिला जांजगीर-चांपा जिला में राहत आपदा मद से स्वीकृत राशि तथा निष्पादित कार्य

19. (क्र. 1849) **श्री दूजराम बौद्ध** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आपदा राहत निधि (सी.आर.एफ.) से वर्ष 2008-09, 2009-10 में दिसम्बर 2009 तक जांजगीर-चांपा जिले के लिए कितनी राशि स्वीकृत हुई है ? ब्लॉकवार जानकारी देवें ? (ख) स्वीकृत राशि से किन-किन विभाग से, कितनी राशि का निर्माण कराया गया है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) आपदा राहत निधि (सी.आर.एफ.) से जिला जांजगीर-चांपा के लिए वर्ष 2008-09 में कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई है. 2009-10 में दिसम्बर 2009 तक तहसील नवागढ़ हेतु रु. 95.87 लाख, बम्हनीडीह तहसील हेतु 9.99 लाख, डभरा तहसील हेतु 6.05 तथा जैजैपुर तहसील हेतु 55.00 लाख रुपये स्वीकृत हुई है. (ख) स्वीकृत राशि में से जल संसाधन विभाग से रुपये 6.05 लाख, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से रुपये 9.99 लाख तथा नगरीय प्रशासन विभाग से रुपये 4.30 लाख का कार्य कराया गया है.

पामगढ़ एवं खरौद प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्वीकृत एवं कार्यरत स्टाफ

20. (क्र. 1850) **श्री दूजराम बौद्ध** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत पामगढ़ एवं खरौद प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कितने बिस्तर का है ? (ख) उक्त केन्द्रों में कितने पद स्वीकृत हैं ? किन-किन पदों में स्टाफ कार्यरत हैं ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पामगढ़ 06 बिस्तर एवं खरौद में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित नहीं है. (ख) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पामगढ़ में 10 पद. चिकित्सा अधिकारी, फार्मासिस्ट ग्रेड-2, लेब टेक्नीशियन, ड्रेसर, नेत्र सहायक अधिकारी, एम.पी.डब्ल्यू. महिला, आया तथा भृत्य/वार्डबॉय के पदों में स्टाफ कार्यरत हैं.

तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट “एक”

[तारांकित प्रश्न संख्या 03 (क्र. 1825) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2008 एवं 2009 में जिन आंगनबाड़ी केन्द्रों तथा मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए थे, उन आंगनबाड़ी केन्द्रों के नाम तथा मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों के नाम

आवेदन आमंत्रित करने का वर्ष	विकासखण्ड का नाम	आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम, जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे	आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम, जहां आंगनबाड़ी सहायिका पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे	मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम, जहां मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2008	छुरिया	रामपुर	रामपुर	रानीतालाब
2008	छुरिया	नागरकोहरा	नागरकोहरा	किड़काड़ी
2008	छुरिया	पाण्डुका	पाण्डुका	जामनारा
2008	छुरिया	पाटेकोहरा	पाटेकोहरा	छिंदीबिहरी
2008	छुरिया	महाराजपुर	महाराजपुर	गहिराभेंड़ी
2008	छुरिया	मासूल	मासूल	भेजराटोला
2008	छुरिया	मातेखेड़ा	मातेखेड़ा	गोड़वाही
2008	छुरिया	कल्लूटोला	कल्लूटोला	चाबुकनाला
2008	छुरिया	दैहान	दैहान	बागनदी
2008	छुरिया	जोब	जोब	लुडकाबोड़
2008	छुरिया	झालाटोला	झालाटोला	बादराटोला
2008	छुरिया	तेलिनबांधा	तेलिनबांधा	पथरानवागांव
2008	छुरिया	बुचाटोला	बुचाटोला	बाबली
2008	छुरिया	चारभाठा	चारभाठा	हैदलकोड़ो
2008	छुरिया	मुंजालकला	मुजालकला	कारूटोला
2008	छुरिया	लाटमेटा	लाटमेटा	सड़क बंजारी
2008	छुरिया	कल्लूबंजारी	कल्लूबंजारी	रीवाटोला
2008	छुरिया	चोरहाबंजारी	चोरहाबंजारी	मोतीपुर
2008	छुरिया	ठाकुरबांधा	ठाकुरबांधा	बरेठटोला
2008	छुरिया	जयसिंगटोला	जयसिंगटोला	जनकपुर (पंचा. उमरवाही)
2008	छुरिया	छुरिया	छुरिया	गोटाटोला
2008	छुरिया	देवरी	देवरी	आंतरगांव
2008	छुरिया	सड़क चिरचारी	सड़क चिरचारी	जनकपुर (पंचा. महाराजपुर)
2008	छुरिया	चिखलाकसा	चिखलाकसा	उचईपुर
2008	छुरिया	फाफामार	फाफामार	खेड़ेपार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2008	छुरिया	मेटेपार	मेटेपार	-
2008	छुरिया	सालहेटोला	सालहेटोला	-
2008	छुरिया	करेठी	करेठी	-
2008	छुरिया	केसाल	केसाल	-
2008	छुरिया	जोशीलमती	जोशीलमती	-
2008	छुरिया	कोलिहालमती	कोलिहालमती	-
2008	छुरिया	पंडरीपथरा	पंडरीपथरा	-
2008	छुरिया	आमगांव कु.	आमगांव कु.	-
2008	छुरिया	-	मुंजालपाथरी	-
2008	छुरिया	-	दानीटोला	-
2008	छुरिया	-	गुचेदण्ड	-
2008	छुरिया	-	गिदर्गी	-
2008	छुरिया	-	भंडारपुर	-
2008	चौकी	सालहेमिरचे	सालहेमिरचे	मुडपार
2008	चौकी	टोपाटोला	टोपाटोला	हज्जूटोला
2008	चौकी	भरीटोला	भरीटोला	दक्कोटोला
2008	चौकी	मोहगांव	मोहगांव	खोर्गाटोला
2008	चौकी	-	-	रेंगाकठेरा
2008	चौकी	-	-	बहोरनगेंडी
2008	चौकी	-	-	दाउटोला
2008	चौकी	-	-	गुंडरडही
2008	चौकी	-	-	चिल्हाटी
2008	चौकी	-	-	शिकारीटोला
2008	चौकी	-	-	हालमकोडों
2008	डोंगरगांव	भटगुना	-	-
		भाटापारा		
2008	डोंगरगांव	भटगुना	-	-
		पठानपारा		
2008	डोंगरगांव	मरारपारा	-	-
		खुज्जी		
2008	डोंगरगांव	राजीवनगर	-	-
		खुज्जी		
2009	छुरिया	नवागांव	-	-

प्रपत्र “ब”

खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2008 एवं 2009 में जिन आंगनबाड़ी केन्द्रों तथा मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/ सहायिका/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए थे किन्तु नियुक्ति पूर्ण नहीं हो सकी है, उन आंगनबाड़ी केन्द्रों तथा मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों के नाम तथा नियुक्ति न होने का कारण

आवेदन आमंत्रित करने का वर्ष	आंगनबाड़ी/मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों का नाम	पद नाम जिस पर नियुक्ति की जानी है	नियुक्ति न होने का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)
2008	मुंजालकला आंगनबाड़ी केन्द्र	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता	आमंत्रित आवेदनों में से प्रथम क्रम की आवेदिका एवं तृतीय क्रम की आवेदिका द्वारा दावा आपत्ति आमंत्रण के समय पत्र प्रस्तुत कर उनके द्वारा कार्यकर्ता पद हेतु प्रस्तुत आवेदन पर विचार न करने हेतु निवेदन किया गया था. जनपद पंचायत छुरिया की स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास की स्थाई समिति द्वारा द्वितीय क्रम की आवेदिका का चयन न कर चौथे क्रम की आवेदिका के चयन की अनुशंसा किये जाने के कारण नियुक्ति की कार्यवाही नहीं की जा सकी.
2008	सालहेटोला आंगनबाड़ी केन्द्र	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता	जनपद पंचायत की स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास की स्थाई समिति की बैठक में अनुमोदन नहीं होने के कारण नियुक्ति शेष है.
2008	दैहान आंगनबाड़ी केन्द्र	आंगनबाड़ी सहायिका	स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास समिति जनपद पंचायत छुरिया द्वारा दूसरे क्रम की आवेदिका की अनुशंसा किये जाने के कारण नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया जा सका.
2008	बरेठटोला मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र	मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता	स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास समिति जनपद पंचायत छुरिया द्वारा अनुमोदन न होने के कारण नियुक्ति नहीं हो सकी.
2008	उचईपुर मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र	मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता	स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास समिति जनपद पंचायत छुरिया द्वारा अनुमोदन न होने के कारण नियुक्ति नहीं हो सकी.
2008	जनकपुर मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र	मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता	स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास समिति जनपद पंचायत छुरिया द्वारा अनुमोदन न होने के कारण नियुक्ति नहीं हो सकी.
2008	लुढकाबोर मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र	मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता	स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास समिति जनपद पंचायत छुरिया द्वारा अनुमोदन न होने के कारण नियुक्ति नहीं हो सकी.
2009	नवागांव आंगनबाड़ी केन्द्र	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता	आवेदन आमंत्रित किये गये हैं. मूल्यांकन की कार्यवाही की जा रही है.

परिशिष्ट “दो”

[तारांकित प्रश्न संख्या 05 (क्र. 1742) के भाग (क) की जानकारी]

जिला जशपुर एवं रायगढ़ में वर्ष 2008, 2009 एवं 2010 के 20-02-10 तक गुम इंसान के दर्ज प्रकरण की थानावार जानकारी

परिशिष्ट “अ”

क्र.	जिला	थाना	वर्ष			कुल योग
			2008	2009	2010 के 20-02-10 तक	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	जशपुर	जशपुर	26	36	5	67
2.		सन्ना	1	8	1	10
3.		आस्ता	1	2	0	3
4.		दुलदुला	1	6	3	10
5.		कुनकुरी	4	8	3	15
6.		बगीचा	3	8	2	13
7.		नारायणपुर	4	3	0	7
8.		तपकरा	5	2	2	9
9.		पत्थलगांव	26	13	3	42
10.		कांसाबेल	5	7	0	12
11.		फरसाबहार	0	13	6	19
12.		बागबहार	11	5	1	17
योग			87	111	26	224
1.	रायगढ़	कोतवाली	56	69	12	137
		सरिया	4	3	5	12
		बरमकेला	7	2	3	12
		खरसिया	25	33	0	58
		पूंजीपथरा	3	5	2	10
		कापू	3	5	3	11
		लैलूंगा	3	10	2	15
		छाल	18	14	1	33
		कोतरारोड	14	24	1	39
		सारंगढ़	37	31	2	70
		कोसीर	4	3	0	7
		भूपदेवपुर	14	15	3	32
		पुसौर	5	7	5	17
		तमनार	11	7	4	22
		धरमजयगढ़	25	16	1	42
		चक्रधरनगर	40	35	2	77
		घरघोड़ा	19	21	4	44
योग			288	300	50	638
कुल योग			जिला जशपुर का 224 एवं रायगढ़ का 638=862			

परिशिष्ट “तीन ”
[तारांकित प्रश्न संख्या 07 (क्र. 1523) के भाग (ग) की जानकारी]

क्र. (1)	संस्था का नाम (2)	स्वीकृत पद (3)
1.	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र-दरभा	08
2.	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र-नानगुर	08
3.	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र-कोलेंग	02
4.	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र-सौतनार	02
5.	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र-तितिरगांव	02
6.	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र-कुम्हरावंड	02
7.	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र-आसना	02
8.	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र-आडावाल	02
9.	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र-कुरंदी	02
10.	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र-नगरनार	02
11.	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र-तिरिया	02
योग		34

परिशिष्ट “चार”

[तारांकित प्रश्न संख्या 10 (क्र. 1834) के भाग (क) की जानकारी]

रायपुर जिले के समस्त पुलिस थाना व चौकियों की सूची

क्र.	थाने व चौकियों के नाम	स्वीकृत					रिक्त				
		निरी	उनि	सउनि	प्रआर	आर	निरी	उनि	सउनि	प्रआर	आर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	थाना सिविल लाईन	1	5	7	17	82	0	3	3	6	45
2.	थाना कोतवाली	1	7	7	20	96	0	5	6	12	73
3.	थाना गंज	1	4	6	14	70	0	3	5	9	55
4.	थाना खमतराई	1	2	6	11	45	0	2	4	0	20
5.	थाना उरला	1	2	2	4	39	0	0	1	0	23
6.	थाना आमनाका	1	2	5	12	61	0	1	2	5	39
7.	थाना सरस्वतीनगर	1	2	2	8	39	0	0	0	0	0
8.	थाना आजाद चौक	1	3	4	7	39	0	2	3	2	20
9.	थाना पुरानी बस्ती	1	2	6	13	77	0	1	4	4	59
10.	थाना टिकरापारा	1	2	2	4	38	0	1	0	0	0
11.	थाना पंडरी	1	2	2	5	38	0	2	0	0	15
12.	थाना मौदहापारा	1	2	2	5	39	0	0	0	0	0
13.	थाना गुडियारी	1	2	2	8	37	0	2	0	1	18
14.	थाना तेलीबांधा	1	2	3	8	39	0	0	1	0	15
15.	थाना गोलबाजार	1	2	2	5	39	0	0	0	0	17
16.	थाना भाटापारा (श.)	1	2	3	6	39	0	1	1	1	13
17.	थाना दीनदयाल उपाध्याय नगर	1	2	4	8	39	1	1	3	0	16
18.	थाना देवेन्द्र नगर	1	2	4	8	39	0	1	2	2	19
19.	थाना राजेन्द्र नगर	1	2	4	8	39	1	1	2	1	25
20.	अजाक थाना	1	4	1	4	15	1	4	0	0	12
21.	महिला थाना	1	2	1	4	15	-	2	1	3	5
22.	थाना माना कैम्प	1	1	1	4	17	0	0	0	0	5
23.	थाना मंदिर हसौद	1	1	1	3	8	0	1	0	0	0
24.	थाना आरंग	1	1	1	5	14	0	0	0	0	0
25.	थाना अभनपुर	1	2	1	5	10	0	1	0	0	0
26.	थाना धरसीवा	1	1	1	3	7	0	0	0	0	0
27.	थाना सिमगा	1	1	1	4	7	0	0	0	0	0
28.	थाना तिल्दा-नेवरा	1	1	1	4	9	0	1	0	0	0
29.	थाना खरोरा	1	1	1	4	8	0	0	0	1	0
30.	थाना बलौदाबाजार	1	2	1	6	20	0	0	0	0	0

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
31.	थाना पलारी	0	1	1	4	7	0	1	0	0	3
32.	थाना कसडोल	0	1	1	4	11	0	1	0	0	3
33.	थाना बिलाईगढ़	0	1	1	4	11	0	1	0	1	5
34.	थाना सरसीवा	0	1	1	3	8	0	0	1	0	0
35.	थाना भाटापारा (ग्रा)	0	1	1	3	8	0	0	0	0	0
36.	थाना सुहेला	0	1	1	4	16	0	0	0	0	6
37.	थाना राजिम	1	1	1	4	12	0	1	0	0	0
38.	थाना फिंगेश्वर	1	0	2	6	22	0	0	0	2	15
39.	थाना गोबरा नवापारा	0	1	1	4	16	0	1	0	0	3
40.	थाना गरियाबंद	0	1	1	5	18	0	0	0	0	0
41.	थाना छुरा	0	1	1	3	7	0	0	0	0	0
42.	थाना मैनपुर	0	1	1	3	7	0	0	0	0	0
43.	थाना देवभोग	0	1	1	5	14	0	1	0	2	0
44.	थाना पीपरछेड़ी	1	2	4	8	50					नवीन पुलिस थाना अप्रारंभ
45.	थाना इंदागांव	1	2	4	8	50					नवीन पुलिस थाना अप्रारंभ
46.	थाना पायलीखण्ड	1	2	4	8	50					नवीन पुलिस थाना अप्रारंभ
47.	थाना अमलीपदर	1	2	4	8	50					नवीन पुलिस थाना अप्रारंभ
48.	थाना शोभा	1	2	4	8	50					नवीन पुलिस थाना अप्रारंभ
योग		37	88	118	309	1471	3	41	39	52	529
1.	चौकी विधायक विश्राम गृह	0	1	1	2	8	0	1	1	2	8
2.	चौकी डी. के. एस. भवन	0	1	2	3	12	0	0	2	0	8
3.	चौकी कांशीराम नगर	0	1	2	3	12	0	1	1	2	10
4.	चौकी सिलयारी	0	0	1	2	6	0	0	0	0	3
5.	चौकी करही	0	0	1	1	6	0	0	0	0	0
6.	चौकी विधान सभा	0	1	1	2	8	0	0	0	0	3
7.	चौकी भटगांव	0	1	2	3	12	0	1	1	1	7
8.	चौकी लवन	0	1	2	3	12	0	1	1	0	9
9.	चौकी बया	0	1	1	3	12	0	1	0	2	7
10.	चौकी गिधौरी	0	1	2	3	12	0	1	1	0	6
11.	चौकी चम्पारण	0	2	2	6	26	0	1	2	6	23
12.	चौकी बिन्द्रा-नवागढ़	0	1	2	3	12	0	1	2	3	12
13.	चौकी गिधपुरी	0	0	1	2	6	0	0	0	0	3
14.	चौकी रामनगर	0	2	2	6	26					नवीन पुलिस चौकी अप्रारंभ
15.	चौकी गिरौधपुरी	0	2	2	6	26					नवीन पुलिस चौकी अप्रारंभ
योग		0	15	24	48	196	0	8	11	16	99
महायोग		37	103	142	357	1667	3	49	50	68	628

परिशिष्ट “पांच ”

[तारांकित प्रश्न संख्या 11 (क्र. 968) की जानकारी]

क्र.	कार्य स्वीकृति वर्ष	विकासखंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कार्य का नाम	कार्य की वर्तमान भौतिक स्थिति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	2006-07	पामगढ़	पामगढ़	उन्मुक्त खेल मैदान निर्माण	पूर्ण
2.	2006-07	जैजैपुर	जैजैपुर	उन्मुक्त खेल मैदान निर्माण	पूर्ण
3.	2006-07	मालखरौदा	मालखरौदा	उन्मुक्त खेल मैदान निर्माण	पूर्ण
4.	2007-08	नवागढ़	मिस्दा	खेल मैदान निर्माण	पूर्ण
5.	2007-08	नवागढ़	सलखन	खेल मैदान निर्माण	पूर्ण
6.	2007-08	नवागढ़	गोधना	खेल मैदान निर्माण	पूर्ण
7.	2007-08	नवागढ़	अमोदा	खेल मैदान निर्माण	पूर्णता पर
8.	2007-08	नवागढ़	देवरी	खेल मैदान निर्माण	पूर्ण
9.	2007-08	नवागढ़	कासा	खेल मैदान निर्माण	पूर्ण
10.	2007-08	नवागढ़	कटौद	खेल मैदान निर्माण	पूर्णता पर
11.	2007-08	नवागढ़	भैसमुडी	खेल मैदान निर्माण	जोड़ाई कार्य प्रगति पर
12.	2007-08	नवागढ़	भैसदा	खेल मैदान निर्माण	पूर्ण
13.	2007-08	नवागढ़	करमंदी	खेल मैदान निर्माण	पूर्ण
14.	2007-08	नवागढ़	चोरभट्टी	खेल मैदान निर्माण	पूर्णता पर
15.	2007-08	बलौदा	पंतोरा	खेल मैदान निर्माण	पूर्णता पर
16.	2007-08	बलौदा	जर्वे, ब	खेल मैदान निर्माण	पूर्ण
17.	2007-08	बलौदा	खिसौरा	खेल मैदान निर्माण	पूर्ण
18.	2007-08	बलौदा	रसौटा	खेल मैदान निर्माण	पूर्ण
19.	2007-08	बलौदा	ढोरला	खेल मैदान निर्माण	पूर्ण
20.	2007-08	बलौदा	बिरगहनी च	खेल मैदान निर्माण	पूर्ण
21.	2007-08	बलौदा	देवरी	खेल मैदान निर्माण	पूर्ण
22.	2007-08	बलौदा	पहरिया	खेल मैदान निर्माण	पूर्ण
23.	2007-08	अकलतरा	अमलीपाली	खेल मैदान निर्माण	मिट्टी भरई समतलीकरण शेष.
24.	2007-08	अकलतरा	पकरिया ल	खेल मैदान निर्माण	पलास्टर एवं समतलीकरण शेष.
25.	2007-08	अकलतरा	परसाहीबाना	खेल मैदान निर्माण	पूर्ण
26.	2007-08	अकलतरा	नरियरा	खेल मैदान निर्माण	पूर्ण
27.	2007-08	अकलतरा	भैसतरा	खेल मैदान निर्माण	समतलीकरण शेष
28.	2007-08	अकलतरा	अमोरा	खेल मैदान निर्माण	मिट्टी भरई समतलीकरण शेष.
29.	2007-08	अकलतरा	हरदी	खेल मैदान निर्माण	मिट्टी भरई समतलीकरण शेष.
30.	2007-08	अकलतरा	मधुवा	खेल मैदान निर्माण	मिट्टी भरई समतलीकरण शेष.
31.	2007-08	अकलतरा	रसेडा	खेल मैदान निर्माण	मिट्टी भरई समतलीकरण शेष.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
32.	2007-08	अकलतरा	अर्जुनी	खेल मैदान निर्माण	पूर्ण
33.	2007-08	अकलतरा	करूमहू	खेल मैदान निर्माण	75 प्रतिशत समतलीकरण पूर्ण
34.	2007-08	अकलतरा	सोनादुला	खेल मैदान निर्माण	मिट्टी भरई समतलीकरण शेष.
35.	2007-08	अकलतरा	चंगोरी	खेल मैदान निर्माण	अप्रारंभ
36.	2007-08	अकलतरा	फरहदा	खेल मैदान निर्माण	मिट्टी भरई समतलीकरण शेष.
37.	2007-08	अकलतरा	तागा	खेल मैदान निर्माण	नींव कार्य पूर्ण
38.	2007-08	अकलतरा	सोनसरी	खेल मैदान निर्माण	मिट्टी भरई समतलीकरण शेष.
39.	2007-08	अकलतरा	झलमला	खेल मैदान निर्माण	मिट्टी भरई समतलीकरण शेष.
40.	2007-08	अकलतरा	खोड	खेल मैदान निर्माण	पूर्ण
41.	2007-08	अकलतरा	पोडीदलहा	खेल मैदान निर्माण	बेस कार्य पूर्ण
42.	2007-08	अकलतरा	पिपरसत्ती	खेल मैदान निर्माण	मिट्टी भरई समतलीकरण शेष.
43.	2007-08	पामगढ़	राहोद	खेल मैदान निर्माण	मिट्टी भरई समतलीकरण शेष.
44.	2007-08	पामगढ़	तनौद	खेल मैदान निर्माण	पलास्टर एवं समतलीकरण शेष.
45.	2007-08	बम्हनीडीह	खम्हिया	खेल मैदान निर्माण	पूर्णता पर
46.	2007-08	बम्हनीडीह	भोगाडीह (सरहर)	खेल मैदान निर्माण	मिट्टी भरई समतलीकरण शेष.
47.	2007-08	बम्हनीडीह	सारगांव	खेल मैदान निर्माण	पूर्ण
48.	2007-08	बम्हनीडीह	तालदेवरी	खेल मैदान निर्माण	पूर्ण
49.	2007-08	बम्हनीडीह	पोडीशंकर	खेल मैदान निर्माण	पूर्ण
50.	2007-08	बम्हनीडीह	अफरीद	खेल मैदान निर्माण	पूर्णता पर
51.	2007-08	बम्हनीडीह	खपरीडीह	खेल मैदान निर्माण	जोड़ार्ई कार्य प्रगति पर
52.	2007-08	बम्हनीडीह	भवरेली	खेल मैदान निर्माण	पूर्णता पर
53.	2007-08	बम्हनीडीह	सोंठी	खेल मैदान निर्माण	पूर्ण
54.	2007-08	बम्हनीडीह	भदरा	खेल मैदान निर्माण	मिट्टी भरई समतलीकरण शेष.
55.	2007-08	बम्हनीडीह	लखुरी	खेल मैदान निर्माण	पूर्ण
56.	2007-08	बम्हनीडीह	झर्रा	खेल मैदान निर्माण	पूर्ण
57.	2007-08	बम्हनीडीह	बोरसी	खेल मैदान निर्माण	पूर्ण
58.	2007-08	बम्हनीडीह	नवागांव	खेल मैदान निर्माण	पूर्ण
59.	2007-08	बम्हनीडीह	लखाली	खेल मैदान निर्माण	समतलीकरण शेष
60.	2007-08	बम्हनीडीह	सिलादेही	खेल मैदान निर्माण	पूर्णता पर
61.	2007-08	बम्हनीडीह	सरवानी	खेल मैदान निर्माण	पूर्ण
62.	2007-08	सक्ती	रजगा	खेल मैदान निर्माण	पूर्णता पर
63.	2007-08	सक्ती	नगर्दा	कस्तूरबा गांधी आवासीय स्थल परिसर में बारबेट बायर फेंसिंग एवं मैदान समतलीकरण.	बारबेट कार्य अपूर्ण.
64.	2007-08	सक्ती	सपनईपाली	प्रा. शा. खेल मैदान समतलीकरण कनेटी.	प्रगति पर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
65.	2007-08	सक्ती	कुटेकेला	प्रा. शा. खेल मैदान समतलीकरण	पूर्ण
66.	2007-08	जैजैपुर	भोथिया	खेल मैदान निर्माण	पूर्णता पर
67.	2007-08	मालखरौदा	नगझर	खेल मैदान निर्माण	पूर्ण
68.	2007-08	मालखरौदा	पिरदा	खेल मैदान निर्माण	पूर्ण
69.	2007-08	मालखरौदा	बड़ेसीपत	खेल मैदान निर्माण	पूर्ण
70.	2007-08	मालखरौदा	सफिया	खेल मैदान निर्माण	जोड़ाई प्रगति पर
71.	2007-08	डभरा	कोटमी	खेल मैदान निर्माण	पूर्ण
72.	2007-08	डभरा	टुण्डी	खेल मैदान निर्माण	पूर्ण
73.	2008-09	नवागढ़	कंचदा	खेल मैदान निर्माण	पूर्णता पर
74.	2008-09	नवागढ़	नवापारा	खेल मैदान निर्माण	पूर्ण
75.	2008-09	नवागढ़	उदयभांठा	खेल मैदान निर्माण	पूर्ण
76.	2008-09	नवागढ़	पेण्डी (नवा)	खेल मैदान निर्माण	पूर्ण
77.	2008-09	नवागढ़	मुडपार खी	खेल मैदान निर्माण	पूर्ण
78.	2008-09	नवागढ़	पचेडा	मा. शा. के पास खेल मैदान	पूर्ण
79.	2008-09	नवागढ़	भैसदा	खेल मैदान निर्माण	पूर्ण
80.	2008-09	नवागढ़	पेण्डी ज	खेल मैदान निर्माण	पूर्ण
81.	2008-09	नवागढ़	नवागढ़	खेल मैदान निर्माण	प्रगति पर
82.	2008-09	नवागढ़	मेहदा	खेल मैदान निर्माण	प्रगति पर
83.	2008-09	नवागढ़	धारसीव खो	खेल मैदान निर्माण	प्रगति पर
84.	2008-09	नवागढ़	नेगुरडीह	खेल मैदान निर्माण	अप्रारंभ
85.	2008-09	नवागढ़	बुडेना	खेल मैदान निर्माण	अप्रारंभ
86.	2008-09	बलौदा	बोकामुडा	खेल मैदान समतलीकरण कार्य पू. मा. शा.	पूर्ण
87.	2008-09	बलौदा	लछनपुर	खेल मैदान समतलीकरण कार्य	पूर्ण
88.	2008-09	पामगढ़	जेवरा	खेल मैदान निर्माण	पूर्ण
89.	2008-09	पामगढ़	बोरसी	खेल मैदान निर्माण	पूर्ण
90.	2008-09	पामगढ़	खपरी	खेल मैदान निर्माण	प्रगति पर
91.	2008-09	पामगढ़	मुडपार च	खेल मैदान निर्माण	प्रगति पर
92.	2008-09	पामगढ़	बारगांव	खेल मैदान निर्माण	पूर्ण
93.	2008-09	पामगढ़	पेण्डी	खेल मैदान निर्माण	पूर्ण
94.	2008-09	पामगढ़	कोसा	खेल मैदान निर्माण	प्रगति पर
95.	2008-09	पामगढ़	मेकरी	खेल मैदान निर्माण	अप्रारंभ
96.	2008-09	पामगढ़	सेमरिया	खेल मैदान निर्माण	प्रगति पर
97.	2008-09	पामगढ़	कुटराबोड	खेल मैदान निर्माण	अप्रारंभ
98.	2008-09	पामगढ़	खोरसी	खेल मैदान निर्माण	प्रगति पर
99.	2008-09	पामगढ़	चंडीपारा	खेल मैदान निर्माण	अप्रारंभ
100.	2008-09	पामगढ़	पकरिया	खेल मैदान निर्माण	अप्रारंभ
101.	2008-09	पामगढ़	भिलौनी	खेल मैदान निर्माण	पूर्ण
102.	2008-09	पामगढ़	खोखरी	खेल मैदान निर्माण	प्रगति पर
103.	2008-09	पामगढ़	बुन्देला	खेल मैदान निर्माण	प्रगति पर
104.	2008-09	पामगढ़	मुलमुला	खेल मैदान निर्माण	प्रगति पर
105.	2008-09	पामगढ़	पनगांव	खेल मैदान निर्माण	पूर्ण
106.	2008-09	पामगढ़	मुडपार ब	खेल मैदान निर्माण	पूर्ण
107.	2008-09	पामगढ़	लोहर्सी	खेल मैदान निर्माण	अप्रारंभ

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
108.	2008-09	पामगढ़	देवरी	खेल मैदान निर्माण	प्रगति पर
109.	2008-09	सक्ती	धुईचुवा	पू. मा. शा. एवं प्रा. शा. भवन अहाता निर्माण एवं मैदान समतलीकरण.	अप्रारंभ
110.	2008-09	जैजैपुर	कोटेतरा	खेल मैदान निर्माण	पूर्ण
111.	2008-09	जैजैपुर	हरदीडीह	खेल मैदान निर्माण	पूर्ण
112.	2008-09	जैजैपुर	कंचदा	खेल मैदान निर्माण	पूर्ण
113.	2008-09	जैजैपुर	कुटराबोड	खेल मैदान निर्माण	पूर्ण
114.	2008-09	जैजैपुर	छितापडरिया	खेल मैदान निर्माण	पूर्ण
115.	2008-09	जैजैपुर	जमड़ी	खेल मैदान निर्माण	प्रगति पर
116.	2008-09	जैजैपुर	जमड़ी	खेल मैदान निर्माण डोमरडीह	प्रगति पर
117.	2008-09	जैजैपुर	भातमाहुल	खेल मैदान निर्माण भावरभाटा	पूर्ण
118.	2008-09	जैजैपुर	मुक्ता	खेल मैदान निर्माण	पूर्ण
119.	2008-09	जैजैपुर	कैथा	खेल मैदान निर्माण	पूर्ण
120.	2008-09	जैजैपुर	बहेराडीह	खेल मैदान निर्माण	पूर्ण
121.	2008-09	जैजैपुर	कैथा	खेल मैदान निर्माण	पूर्ण
122.	2008-09	जैजैपुर	बोईराडीह	खेल मैदान निर्माण	पूर्ण
123.	2008-09	जैजैपुर	सिरली	खेल मैदान निर्माण	पूर्ण
124.	2008-09	जैजैपुर	हरदी	खेल मैदान निर्माण	पूर्ण
125.	2008-09	जैजैपुर	गुचकुलिया	खेल मैदान निर्माण धौराभाटा मोहल्ला.	अप्रारंभ
126.	2008-09	जैजैपुर	चोरभट्टी	खेल मैदान निर्माण	पूर्ण
127.	2008-09	जैजैपुर	गुचकुलिया	खेल मैदान निर्माण पाडाहरदी के आवास पारा में.	अप्रारंभ
128.	2008-09	जैजैपुर	बरदुली	खेल मैदान निर्माण	प्रगति पर
129.	2008-09	जैजैपुर	बरदुली	खेल मैदान निर्माण तुमीडीह	प्रगति पर
130.	2008-09	जैजैपुर	रायपुरा	खेल मैदान निर्माण	प्रगति पर
131.	2008-09	जैजैपुर	धिवरा	खेल मैदान निर्माण	प्रगति पर
132.	2008-09	जैजैपुर	देवरधटा	खेल मैदान निर्माण, गुजियाबोड	पूर्ण
133.	2008-09	जैजैपुर	देवरधटा	खेल मैदान निर्माण	पूर्ण
134.	2008-09	जैजैपुर	देवरधटा	खेल मैदान निर्माण बेहागुडरू	पूर्ण
135.	2008-09	जैजैपुर	बरेकेलकला	खेल मैदान निर्माण	प्रगति पर
136.	2008-09	जैजैपुर	भातमाहुल	खेल मैदान निर्माण	पूर्ण
137.	2008-09	जैजैपुर	जमड़ी	खेल मैदान निर्माण	प्रगति पर
138.	2008-09	जैजैपुर	जमड़ी	खेल मैदान निर्माण डोमाडीह	प्रगति पर
139.	2008-09	जैजैपुर	बोडसरा	खेल मैदान निर्माण	पूर्ण
140.	2008-09	जैजैपुर	बोडसरा	खेल मैदान निर्माण करमनडीह	पूर्ण
141.	2008-09	जैजैपुर	बोडसहरा	खेल मैदान निर्माण सेमराडीह	पूर्ण
142.	2008-09	जैजैपुर	तुसार	खेल मैदान निर्माण	पूर्ण
143.	2008-09	मालखरौदा	नवरंगपुर	खेल मैदान निर्माण	पूर्ण
144.	2008-09	मालखरौदा	भुतहा	खेल मैदान निर्माण	पूर्ण
145.	2008-09	मालखरौदा	अमेराडीह	खेल मैदान निर्माण	पूर्ण
146.	2008-09	मालखरौदा	चांटीपाली	खेल मैदान निर्माण खेमड़ा	पूर्ण
147.	2008-09	मालखरौदा	चांटीपाली	खेल मैदान निर्माण	पूर्ण
148.	2008-09	मालखरौदा	बडेरबेली	खेल मैदान निर्माण	पूर्ण
149.	2008-09	मालखरौदा	पिहरीद	खेल मैदान निर्माण	अप्रारंभ

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
150.	2008-09	मालखरौदा	किरारी	खेल मैदान निर्माण	पूर्ण
151.	2008-09	मालखरौदा	मिरौनी	खेल मैदान निर्माण	पूर्ण
152.	2008-09	मालखरौदा	चिखली	खेल मैदान निर्माण	पूर्ण
153.	2008-09	मालखरौदा	रनपोटा	खेल मैदान निर्माण	पूर्ण
154.	2008-09	मालखरौदा	मरधटी	खेल मैदान निर्माण	पूर्ण
155.	2008-09	मालखरौदा	भठौरा	खेल मैदान निर्माण	पूर्ण
156.	2008-09	मालखरौदा	मुक्ता	खेल मैदान निर्माण	पूर्ण
157.	2009-10	बलौदा	बालपुर	खेल मैदान समतलीकरण कार्य	प्रारंभ
158.	2009-10	सक्ती	केरीबांधा	खेल मैदान निर्माण	पूर्ण
159.	2009-10	सक्ती	सोंठी	खेल मैदान निर्माण	प्रगति पर
160.	2009-10	सक्ती	सपनईपाली	खेल मैदान समतलीकरण कार्य	प्रगति पर
161.	2009-10	सक्ती	बेलहाडीह	प्रा. शा. खेल मैदान समतलीकरण	अप्रारंभ
162.	2009-10	सक्ती	ईवरमाल	खेल मैदान समतलीकरण	प्रगति पर
163.	2009-10	सक्ती	जाजंग	खेल मैदान समतलीकरण	अप्रारंभ
164.	2009-10	सक्ती	देवरी	खेल मैदान समतलीकरण	अप्रारंभ
165.	2009-10	डभरा	चुरतेला	खेल मैदान समतलीकरण	अप्रारंभ
166.	2009-10	डभरा	खोधर	खेल मैदान समतलीकरण तुनदुमली	अप्रारंभ
167.	2009-10	डभरा	खोधर	खेल मैदान समतलीकरण	अप्रारंभ
168.	2001-02	नवागढ़	खोखरा	मिनी स्टेडियम निर्माण	पूर्ण
169.	1997-98	बम्हनीडीह	चंपा	भालेराव खेल मैदान निर्माण कार्य	पूर्ण
170.	2004-05	सक्ती	सक्ती	पं. दीनदयाल उपाध्याय स्टेडियम कार्य.	पूर्ण

परिशिष्ट “छः”

[तारांकित प्रश्न संख्या 13 (क्र. 1845) के भाग (ख) एवं (ग) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

प्रकरण में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों एवं जमानत पर रिहा किये गये व्यक्तियों की सूची

गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के नाम

1. मनोज शर्मा, प्रोजेक्ट हेड, जीडीसीएल कंपनी
2. विरल मेहता, वाईस प्रेसीडेंट, प्रोजेक्ट बालको कंपनी
3. दीपक नारंग, एजीएम, बालको कंपनी
4. अनूप महापात्र, जीईटी इंजीनियर, बालको कंपनी
5. वू चुनान पिता वू यूलिन, जीएम, सेपको कंपनी, चाईना
6. लू ग्वेजनान पिता लू वाउजिंग, सिविल इंजीनियर, सेपको कंपनी
7. वान वेकेंग पिता वान वाउजिंग, सिविल इंजीनियर, सेपको कंपनी, चाईना
8. आलोक कुमार शर्मा पिता दयाशंकर प्रसाद शर्मा, इंजीनियर, जीडीसीएल कंपनी
9. सुनील सिंह पिता-नगेन्द्र सिंह, इंजीनियर, जीडीसीएल कंपनी

जमानत पर रिहा किये गये व्यक्तियों के नाम

1. विरल मेहता
 2. दीपक नारंग
 3. अनूप महापात्र
-

प्रपत्र “ब”

व्यक्तियों के नाम जिनसे पूछताछ की गई

क्र. (1)	नाम (2)
1.	राकेश परिदा पिता खिरोद परिदा उम्र 30 साल निवासी ग्राम बलूरिया थाना परमतमुडई जिला केदरापारा उड़ीसा
2.	रामपाल सिंह पिता ललल्लन सिंह गोड़ 22 वर्ष निवासी ग्राम कछारटोला थाना व जिला उमरिया म. प्र.
3.	राजूराव पिता पापाचंद राव ईसाई 25 वर्ष निवासी आईटीआई रामपुर कोरवा
4.	महेन्द्र कुमार पिता स्व. प्रेमलाल पटेल 22 वर्ष निवासी देवरी भटठा थाना जैजेपुर जिला जांजगीर चांपा हाल मानसनगर जिला कोरबा
5.	दयाराम राठौर पिता स्व. कलेशराम राठौर 38 वर्ष नि. सपिया थाना डभरा जिला जांजगीर चांपा हाल-सीएसईबी ढीढीपारा वार्ड-11 जिला कोरबा.
6.	तपोधन पिता जयराम अघरिया 19 वर्ष नि. रतनपुर थाना देवगिरी जिला सुंदरगढ़ उड़ीसा हाल-परसाभाठा बालकों
7.	श्रीमती सिवानी मुंडा पति रामसाय मुण्डा 22 वर्ष नि. बेलगिरि बस्ती उड़िया मोहल्ला वार्ड-34 बालकों नगर थाना बालकों
8.	पृथ्वीनाथ पिता वीरबहादुर सिंह कुश्वाहा 47 वर्ष नि. ग्राम भाटकेसरी थाना जलालपुर जिला छपरा बिहार हाल-महाराजा प्रतापनगर कोरबा.
9.	सुजय चक्रवर्ती पिता स्व. श्यामसुंदर चक्रवर्ती 44 वर्ष नि. क्वा-70/1/21 काशीनाथ चटर्ची लेन हावड़ा-2 711102 थाना शिवपुर जिला हावड़ा हाल-820 कोसाबाड़ी.
10.	आर. ई. कजरकर पिता श्री एकनाथ कजरकर 55 वर्ष नि. बी/201 भूषण अपार्टमेंट सवरकर रोड डोम्पीवली पूर्व जिला थाणे
11.	सोमेत्रा सेनगुप्ता पिता श्री अशोक कुमार सेनगुप्ता 44 वर्ष नि. फ्लैट न.-डी/1बी-2 सुकतरा अपार्टमेंट 191 ईसटसिटी बाइलेन दमदम जिला 24 पदगना उत्तर कोलकाता हाल-फ्लॉट न. 755 कोसाबाड़ी ब्लू वर्ड स्कूल के सामने.
12.	सूजीत शाह पिता निमईचंद शाहा 32 वर्ष नि. 5 नंदराम सेन 1 लेन कोलकाता थाना श्यामपुर हाल-फ्लॉट न.-88 कोसाबाड़ी कोरबा
13.	उय बोरेन सरकार पिता स्व. पोकास चंद सरकार 37 वर्ष नि. ग्राम संकरी थाना खंडगोस जिला वर्धमान पश्चिम बंगाल हाल-ब्लू वर्ड स्कूल के सामने फ्लॉट न.-755 कोसाबाड़ी कोरबा.
14.	पी. जी. झरबड़े पिता गुलाब राव झरबड़े 61 वर्ष नि. बी/9 ज्योति पडाला ब्रिज के पास पूर्व थाना मुम्बई
15.	प्रदयत चौधरी पिता स्व. परिमल चौधरी 49 वर्ष नि.-96 डौ. बिहार अंबेडकर रोड न्यू बरखपुर प. ब. 24 पार्क स्टीट 1 फ्लोर कोलकाता हाल-भदरापारा पिन्ट अग्रवाल बालको.
16.	सुबर्ना कुमार दत्ता पिता शमरेसनंद 38 वर्ष नि. 38/1 बीसी चटर्ची स्टेट थाना बेलघोरिया जिला नार्थ 24 परगना प. ब.
17.	एम रमनम मूर्ति पिता रमैया एस विलमा 41 वर्ष नि. 55/2/32 समतौरा थाना त्रिटाउन बाल्टेयर विशाखापटनम
18.	कल्याण घोष पिता अशीत कुमार घोष उम्र 34 वर्ष साकिन बानी अपार्टमेंट फ्लेट नं.-2 ए सेकेन्ड फ्लोर 51 विद्यानगर सरनी थाना ठाकुरपुकुर कलकत्ता.
19.	आर. बला कृष्ण पिता पी. राजाराम नाडार उम्र 29 वर्ष सा. 156/100 कादीबुड कॉलोनी प्लेयर नत्तम थाना सिरिविल्ली पुत्तुर जिला ब्रदुनगर तमिलनाडू.
20.	टी. श्री हरि पिता टी. कृष्ण नैयया गाजिला उम्र 37 साल साकिन 3-10-76/ए गोखले नगर थाना रामंतपुर हैदराबाद.
21.	राहुल बॉडे पिता महादेव राव बॉडे उम्र 31 साल साकिन 55 विश्वकर्मा नगर थाना अजनी जिला नागरपुर महाराष्ट्र
22.	देवआशीष गोस्वामी पिता प्रबोध गोपाल उम्र 34 सा सा. सी-5/6 उत्तरायन हाउसिंग 102 जीटी रोड कोलकाता थाना बड़ा नगर जिला 24 परगना नार्थ कलकत्ता.
23.	कौशिक मुखर्जी पिता नीलरतन मुखर्जी उम्र 35 साल सा. 24 रविन्द्र नगर दुर्गा पुल 6 थाना न्यू टाउनशीप पश्चिम बंगाल
24.	ज्योति ब्रत धल पिता आर. पी. धल उम्र 29 वर्ष सा. फ्लॉट नंबर 2-1 जगरा, थाना थिरपानी राउरकेला
25.	गौतम भराली पिता पी. भराली उम्र 31 वर्ष सा. हाउस नंबर 56 हेंगराबारी गोवाहाटी 36 असम हाल मुकाम फ्लॉट नंबर 892 आरपीनगर कोसाबाड़ी कोरबा.
26.	विश्वजीत चक्रवर्ती पिता एन. एम. चक्रवर्ती उम्र 48 सा. एम 101 बीपीटाउन शीप पाटली थाना जिला साउथ 24 परगना पश्चिम बंगाल.
27.	प्रवीर कुमार पिता एस. के. शर्मा उम्र 41 साल सा. ए/228 सूरजमल बिहार दिल्ली
28.	प्रेरणा सोहल पिता गुरप्रीत सिंह उम्र 29 वर्ष सा. ई:302 विजय अपार्टमेंट अहिसाखंड-2 इंदिरा पुरंम गाजियाबाद
29.	अमित जैन पिता श्री विपिन जैन उम्र 27 वर्ष साकिन क्वां. नं. 356/2/सी बालको टाउनशीप स्थायी पता जीवन बिहार तेलीबांधा रायपुर.

(1)

(2)

30. अल्बर्ट आरो के. राज पिता डा. अगस्टीन अप्पा दोराई उम्र 30 वर्ष क्वां. नं. 106/1/बी बालकोनगर
31. परसमणि सरकार पिता पणिमल सरकार उम्र 26 वर्ष क्वां. नं. 82/2/बी बालो मो. नं. 9981543218
32. अभिषेक शर्मा पिता सीताराम शर्मा उम्र 25 वर्ष सा. क्वां. नं.-सी/946 एनटीपीसी टाउनशीप जमनीपाली थाना दर्दी जिला कोरबा
33. प्रफुल्ल प्रधान पिता तगेन्द्र प्रधान 28 वर्ष सा. बालको क्वां. नं.-156/2 बालको
34. रोहित सिंह पिता दरसलाल सिंह गौर उम्र 24 वर्ष सा. एनटीपीसी टाउनशीप जमनीपाली क्वां. नं. 932 थाना दर्दी जिला कोरबा
35. शंधा मिश्रा पिता श्री आर. के मिश्रा उम्र 23 वर्ष सा. नं. 1534-न्यू कृष्णा बिहार जमनीपाली थाना दर्दी कोरबा
36. अपराजिता महाप्रशस्त पिता श्री एम. एम. महाप्रशस्त उम्र 23 वर्ष क्वां. नं. 1580/बी न्यू कृष्णा बिहार जमनीपाली थाना दर्दी कोरबा
37. आलोक शर्मा पिता दयाशंकर प्रसाद उम्र 37 वर्ष सा. ग्राम बेलानोबाद थाना बेलदो जिला खगडिया बिहार
38. संतोष कुमार गौंडा पिता भास्कर गौंडा उम्र 24 वर्ष क्वां. नं. 910/सी एनटीपीसी टाउनशीप जमनीपाली थाना दर्दी जिला कोरबा मो. नं.-97525-45292.
39. चंचल कालरा पिता मनोहर कालरा 23 वर्ष नि.-क्वाटर नं.-550 कृष्णा बिहार एनटीपीसी जामनीपाली
40. गौरव उपाध्याय पिता श्री नारायण प्रसाद उपाध्याय 24 वर्ष क्वाटर नं. 1571/बी न्यू कृष्णा बिहार एनटीपीसी
41. चेतन भजनी पिता श्री रमेश भजनी 26 वर्ष नि. क्वाटर नं. 44/2/सी बालको
42. लोकेश कुमार पिता श्री आर. डी राठौर 25 वर्ष नि. एनटीपीसी जमनीपाली न्यू कृष्णा बिहार क्वाटर नं. बी-1544 थाना दर्दी जिला कोरबा.
43. एस. मनीराज पिता एन सुदर्शन 24 वर्ष नि. बालको सेक्टर 02 क्वाटर नं. 270/बी थाना बालको जिला कोरबा
44. भास्कर गोदा पिता रामचंद्र रेड्डी 25 वर्ष नि. न्यू कृष्णा बिहार एनटीपीसी सी/914 जमनीपाली कोरबा
45. आशेष कुमार नायर पिता अशोक कुमार नायर 24 वर्ष नि. सी/974 जमनीपाली कृष्णा बिहार जमनीपाली कोरबा
46. सचिन गुप्ता पिता मुरारी लाल गुप्ता 22 वर्ष नि. एनटीपीसी जमनीपाली
47. संतोष सेन पिता हजारी सेन 35 वर्ष नि. सीएसईबी कालोनी 0-4/ई शिवाजी चोक के पास चौकी रामपुर कोरबा
48. अशोक कुमार वत्स पिता रामकिशुन शर्मा 50 वर्ष डिप्टी मनेजर प्रशासन जीडीसीएल कंपनी औद्योगिकी क्षेत्र डी-22 बी फेस-1 आखेला न्यू दिल्ली 20 स्थाई पता 344 सभालक नई दिल्ली 37 थाना कापासेडा.
49. पी. जी. शानवाग पिता जी. जी. शानवाग 42 वर्ष नि.-23 ए फॉचूना टावर 4 थी फ्लोर नेता सुभाष रोड कोलकाता न-1 पं. बंगाल स्थाई पता सीएफ-293 ग्राउण्ड फ्लोर साल्ट वेन सेक्टर-1 कोलकाता 64 पं. बंगाल.
50. मोहित शर्मा पिता मनोज कुमार 22 वर्ष नि-अग्रसेन कालोनी पानीपत थाना माडल टाउन पानीपत हरियाणा
51. संतोष कांतिदेव पिता काजल कांतिदेव 26 वर्ष नि.-ग्राम पश्चिम चंदना थाना देवंगा जिला 24 परगना पं. बंगाल हाल-महाराणा प्रताप नगर ईडब्लू बी 12 जिला कोरबा.
52. लखन राय पिता गोपाल राय 30 वर्ष ग्राम लभरी बहाल थाना ब्रजराज नगर जिला झारसुगुड़ा उड़ीसा हाल-महाराणा प्रताप नगर कोरबा
53. रणवीर सिंह पिता सुरेश प्रसाद सिंह 40 वर्ष नि-पटेल मुहल्ला जंगल साईट बाकीमोगरा थाना बांकी मोगरा जिला कोरबा
54. धनराज सिसोदिया पिता जी. आर. सिसोदिया 41 वर्ष नि. ग्राम ताखेरी थाना व जिला बुंदी राजस्थान हाल-एमपीनगर एमआईजी 17 कोरबा
55. राजू यादव पिता कृष्ण कुमार यादव 24 वर्ष नि. चंदनिया पारा जिला जांजगीर-चांपा हाल-हाउसिंग बोर्ड त्रिवेणी भवन बालको
56. बलराम बनावल पिता श्री चिटदूलाल बनावल 30 वर्ष नि. ग्राम पंचायत मोहतरा थाना बजाक तह. जिला डिण्डौरी म. प्र. हाल-नेहरूनगर बालको.
57. काजी अहमद अली पिता स्व. काजी अयूब अली 27 वर्ष नि. चाक बेयरिया थाना सोनारपुर जिला साउथ 24 परगना कोलकाता प. ब.
58. चंदन कुमार पिता शिवशंकर प्रसाद ठाकुर 24 वर्ष नि. विश्रामपुर थाना जिला पलामू झारखण्ड
59. मनोज कुमार दुबे पिता कामता प्रसाद दुबे 26 वर्ष नि.-ग्राम बरौली थाना जर्वा जिला रीवा म. प्र. हाल-एमआईजी सिनियर मेस कोरबा
60. महेन्द्र टण्डन पिता डी. आर. टण्डन 31 वर्ष नि.-क्वाटर नं. 523-ए-4-बालको
61. रविन्द्र यादव पिता बी. पी. यादव 32 वर्ष नि.-संजय नगर बालको
62. मनीष कुमार पिता यशवंत कुमार 31 वर्ष नि. नेहरूनगर बालको
63. अजीत पिता डी. के. झा उम्र 36 वर्ष सा. सेक्टर सात के बंगल में बालको
64. एस. एन. चंद्रा पिता श्याम लाल चंद्रा उम्र 37 वर्ष सा. 1077/5/ए बालको
65. जयप्रकाश यादव पिता चंद्रिका यादव उम्र 24 वर्ष सा. 243/5 ए बालको
66. विजय त्यागी पिता एमसी त्यागी उम्र 47 वर्ष सा. ओखला नई दिल्ली 20 स्थायी पता एफसी 120-मायाआलेख नई दिल्ली 64 थाना हरिनगर दिल्ली.
67. प्रदीप हजारीका पिता डी सिंह हजारीका स्टेनो जीडीसीएल कंपनी औद्योगिक क्षेत्र 228 फेस-1 ओखल नई दिल्ली सेक्टर 14 पॉकट द्वारिका नई दिल्ली 75 थाना नई दिल्ली.

(1)	(2)
68.	मनीष विश्वास पिता श्यामल विश्वास 24 वर्ष निव.-109/4 ए बालको
69.	भूपेन्द्र पिता बी. एस. चौधरी 24 वर्ष नि.-135/4 ए बालको
70.	मोतीलाल सोनी पिता रोहिणी प्रसाद सोनी 48 वर्ष निव.-बेलाकछार बालको
71.	शंकर प्रजापति पिता शहजन प्रजापति 22 वर्ष नि.-पाडीमार भद्रापारा बालको
72.	रजनीश साहू पिता राजेन्द्र कुमार साहू 26 वर्ष नेहरू नगर कुसमुण्डा
73.	ओमप्रकाश पिता लक्ष्मीप्रसाद महंत 28 वर्ष नि.-रूमगड़ा थाना बालको
74.	राजेश राठौर पिता एम. पी. राठौर 24 वर्ष क्वाटर न.-1007/5 बालको
75.	कृष्ण कुमार नायडू पिता बी. आर. नायडू 27 वर्ष
76.	धनंजय पिता योगेन्द्र रथ भूमिहार 24 वर्ष नि. अहियापुर थाना गोपालपुर जिला गोपालगंज बिहार हाल-हाउसिंग बोर्ड बालको
77.	शैली दत्ता पिता एस. के. दत्ता 24 वर्ष नि.-2/267/बी बालकोनगर
78.	के. आर. मुर्गन पिता के. रामा सुंदरम 40 वर्ष नि.-गवर्नमेंट अस्पताल रोड साई बहार बड़ा करई
79.	नरेश गुप्ता पिता बिन्देश्वरी गुप्ता 30 वर्ष नि.-कटघरा थाना सलखोवा जिला सहरसा बिहार
80.	आकाश सरकार पिता समीर सरकार 22 वर्ष नि.-एनटीपीसी जमनीपाली कोरबा सी/932 दर्री थाना जिला कोरबा
81.	पुंजय कुमार सिंह पिता कामता सिंह 26 वर्ष नि.-एनटीपीसी जमनीपाली बी-1/544 थाना दर्री जिला कोरबा
82.	अजय वर्मा पिता एन. के. वर्मा 35 वर्ष नि.-सेक्टर-1/378 सी बालको नगर
83.	आशुतोष सिंह राजा बखशा पिता सुनेन्द्र सिंह राजा बखशा 24 वर्ष नि.-एनटीपीसी जमनीपाली कृष्ण बिहार
84.	अनुराग केसरवानी पिता सुभाषचंद केसरवानी 26 वर्ष सेक्टर-2/62 बी बालकोनगर
85.	नरेन्द्र साहू पिता नेहरूलाल साहू उम्र 28 वर्ष सा. रूमगड़ा थाना बालकोनगर
86.	विश्वजीत दास पिता भोलानाथ दास उम्र 34 वर्ष सा. थाना जादवपुर जिला 24 परगना पश्चिम बंगाल
87.	भूपेन्द्र चौधरी पिता बीर सिंह चौधरी उम्र 25 वर्ष सा. सेक्टर-4/135/ए बालकोनगर
88.	दिनेन्द्र सोनी पिता बलदाउ सोनी उम्र 46 वर्ष सा. थाना मस्तुरी जिला बिलासपुर
89.	लक्ष्मीनारायण पटेल पिता त्रिलोचन प्रसाद पटेल उम्र 29 वर्ष बरपाली थाना नंदेली जिला रायगढ़ छ. ग.
90.	वागपेई किंग पिता वॉग बाओजिऑंग उम्र 25 साल लिचोचेन सीटी जिनान प्रोविन्स चीन पासपोर्ट नं. जी-431241713
91.	वू चुनैन पिता वू. युलिन सा. येनहुई चीन हाल सेपको लीविंग क्वाटर बालको प्लॉट
92.	लीयू मॅजुऑन पिता लीयू व्वांटिंग उम्र 29 वर्ष सा. जिंगचेंग हेनॉन प्रोविन्स चीन पासपोर्ट नं. जी-25047231
93.	एन. के. सिंहा पिता स्व. यू. सी. प्रसाद उम्र साकिन सेक्टर-3/439/बी बालकोनगर
94.	आर. पी. सिंह पिता एस. पी. सिंह उम्र 54 साकिन सेक्टर 441/3/बी बालकोनगर
95.	अजय सिंह ठाकुर पिता नागेश्वर सिंह ठाकुर उम्र 28 वर्ष सा. सेक्टर/876/बी बालकोनगर
96.	अर्जुन सिंह पिता दीवान सिंह उम्र 40 साल सा. हाउसिंग बोर्ड बालकोनगर
97.	पार्थ साह पिता शिवशंकर साह उम्र 29 साल सा. पूर्व विवेकानंद पल्ली थाना सिल्लीगुड़ी जिला जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल हाल मुकाम 755 कोसाबाड़ी कोरबा.
98.	संतोष कुमार पिता कृष्णन कुट्टी नायर उम्र 40 साल सा. कावसूरपी जिला तिरुवल्ला केरल हाल सीनियर एमआईजी 50 नेहरूनगर कोरबा छ. ग.
99.	अभिषेक लाल पिता एन. एम. लाल उम्र 26 वर्ष सा. बानी अपार्टमेंट फ्लैट नं.-2-ए सेकन्ड फ्लोर विद्यानगर, सारनी थाना ठाकुरपुकुर जिला कलकत्ता पश्चिम बंगाल.
100.	एम. आर. चंद्राकर अनुविभागीय अधिकारी लो. नि. वि. कोरबा
101.	डॉ. राजेश के त्रिपाठी एचओडी, एनआईटी रायपुर
102.	गुंजन गुप्ता मुख्यकारी अधिकारी बालको
103.	जे. सी. निहारिया उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश कोरबा
104.	एच. के. भाटिया एचआर डिपार्टमेंट बालको
105.	डॉ. ए. पी. राठौर मेडिकल आफिसर जिला चिकित्सालय कोरबा
106.	डॉ. पी. वर्मा मेडिकल आफिसर आफिसर जिला चिकित्सालय कोरबा
107.	डॉ. व्ही. एस. राठौर मेडिकल आफिसर जिला चिकित्सालय कोरबा
108.	डॉ. शरद अनंत मेडिकल आफिसर जिला चिकित्सालय कोरबा
109.	डॉ. एम. सिंह मेडिकल आफिसर जिला चिकित्सालय कोरबा
110.	डॉ. जी. एल. वाधवानी मेडिकल आफिसर चिकित्सालय कोरबा
111.	डॉ. शिवनारायण मांडी मेडिकल कालेज रायपुर
112.	अमित जोशी जीएम एचआर डिपार्टमेंट बालको प्लॉट
113.	सुनील सिंह इंजीनियर, जीडीसीएल

परिशिष्ट “सात”

[तारांकित प्रश्न संख्या 15 (क्र. 1264) के भाग (क) की जानकारी]

वर्ष 2009-10 में खरीफ फसल की वास्तविक आनावारी के आधार पर सूखाग्रस्त घोषित तहसीलों का नाम

क्र.	जिले का नाम	सूखाग्रस्त घोषित तहसीलों के नाम	सूखाग्रस्त तहसीलों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	रायपुर	भाटापारा, बलोदाबाजार, कसडोल, बिलाईगढ़	04
2.	दुर्ग	साजा, बेमेतरा, नवागढ़, डोंडी-लोहारा, पाटन, धमधा डोंडी, थान-खम्हरिया, दुर्ग.	09
3.	राजनांदगांव	छुईखदान, खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, छुरिया, अम्बागढ़-चौकी, मोहला, मानपुर, डोंगरगांव.	09
4.	कबीरधाम	कवर्धा, पण्डरिया, बोड़ला, सहसपुर-लोहरा	04
5.	दन्तेवाड़ा	दन्तेवाड़ा, कोंटा, गीदम, कटेकल्याण, कुंआकोंडा, सुकमा, छिन्दगढ़.	07
6.	कांकेर	अन्तागढ़	01
7.	बिलासपुर	मस्तूरी, मरवाही, लोरमी, मुंगेली, पेण्ड्रारोड़, पेण्ड्रा पथरिया.	07
8.	कोरिया	बैकुण्ठपुर, सोनहत, खड़गवां, मनेन्द्रगढ़, भरतपुर	05
9.	बीजापुर	बीजापुर, भोपालपट्टनम, भैरमगढ़, उसूर	04
योग			50

परिशिष्ट “आठ”

[तारांकित प्रश्न संख्या 17 (क्र. 98) की जानकारी]

छत्तीसगढ़ राज्य स्थित बैंकों में विगत तीन वर्षों में घटित लूट की घटनाओं की जानकारी

वर्ष	प्रकरणों की कुल संख्या	लूट की राशि	पकड़े गये आरोपियों की संख्या	न्यायालय द्वारा दंडित आरोपियों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2007	10	3064533 रुपये	19	2
2008	7	1227389 रुपये	18	0
2009	5	1532712 रुपये	11	0
योग	22	5824634 रुपये	48	2

परिशिष्ट “नौ”

[तारांकित प्रश्न संख्या 19 (क्र. 1649) के भाग (ग) की जानकारी]

जांजगीर-चांपा जिले के अंतर्गत दिनांक 01 दिसम्बर 2008 से 17-02-10 तक संचालित किए गए नवीन आंगनबाड़ी केन्द्रों की विकासखण्डवार एवं ग्रामवार जानकारी

क्र.	विकासखण्ड का नाम	ग्राम/नगरीय निकाय का नाम	आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सक्ती	जाजंग	डभरीपारा
2.	सक्ती	टेमर	बैकुण्ठपारा
3.	सक्ती	परसदा खुर्द	देवरासपारा
4.	सक्ती	सकरेली बा.	फाटकपारा
5.	सक्ती	सकरेली बा.	आनंद चौक
6.	सक्ती	सरवानी बारा.	गुड़ीपारा
7.	सक्ती	भाठापारा	नवातलावपारा
8.	सक्ती	परसदा कलां	बजरंग चौक
9.	सक्ती	सक्ती	वार्ड -1 हरिजन पारा क्रमांक 1
10.	सक्ती	सक्ती	वार्ड -2 केसेरपारा क्रमांक 1
11.	सक्ती	सक्ती	वार्ड -3 राजापारा क्रमांक 1
12.	सक्ती	सक्ती	वार्ड -4 बाजार पारा क्रमांक 1
13.	सक्ती	सक्ती	वार्ड -5 अस्पतालपारा क्रमांक 1
14.	सक्ती	सक्ती	वार्ड -6 गुरुद्वारा पारा क्रमांक 1
15.	सक्ती	सक्ती	वार्ड -7 हटरी वार्ड क्रमांक 1
16.	सक्ती	सक्ती	वार्ड -7 हटरी वार्ड क्रमांक 2
17.	सक्ती	सक्ती	वार्ड -8 हरिगुजर वार्ड, क्रमांक 1
18.	सक्ती	सक्ती	वार्ड -8 हरिगुजर वार्ड, क्रमांक 2
19.	सक्ती	सक्ती	वार्ड -9 रानीसागर वार्ड, क्रमांक 1
20.	सक्ती	सक्ती	वार्ड -9 रानीसागर वार्ड, क्रमांक 2

(1)	(2)	(3)	(4)
21.	सक्ती	सक्ती	वार्ड -10 अखराभाठा क्रमांक 1
22.	सक्ती	सक्ती	वार्ड -10 अखराभाठा क्रमांक 2
23.	सक्ती	सक्ती	वार्ड -11 नारायण सागर क्रमांक 1
24.	सक्ती	सक्ती	वार्ड -11 नारायण सागर क्रमांक 2
25.	सक्ती	सक्ती	वार्ड -12 महामाई वार्ड, क्रमांक 1
26.	सक्ती	सक्ती	वार्ड -13 अग्रसेनपारा क्रमांक 1
27.	सक्ती	सक्ती	वार्ड -14 कचहरी वार्ड, क्रमांक 1
28.	सक्ती	सक्ती	वार्ड -15 लालबहादुर शास्त्री, क्रमांक 1
29.	सक्ती	सक्ती	वार्ड -15 लालबहादुर शास्त्री, क्रमांक 2
30.	सक्ती	सक्ती	वार्ड -16 झुलकदम वार्ड, क्रमांक 1
31.	सक्ती	सक्ती	वार्ड -17 भीमराव अम्बेडकर, क्रमांक 1
32.	सक्ती	सक्ती	वार्ड -18 स्टेशन वार्ड, क्रमांक 1
33.	सक्ती	बाराद्वार	चन्द्रशेखर आजाद वार्ड-10
34.	सक्ती	बाराद्वार	इंदिरा गांधी वार्ड -11
35.	सक्ती	बाराद्वार	डॉ. भीमराव अम्बेडकर, वार्ड -12
36.	सक्ती	बाराद्वार	गुरूघासीदास वार्ड -13
37.	जैजैपुर	कचंदा	मांझीपारा
38.	जैजैपुर	अरसिया	ठाकुरदेव
39.	जैजैपुर	कांशीगढ़	अचानकपुर
40.	जैजैपुर	सेदुरस	स्कूल पारा
41.	अकलतरा	अकलतरा	डॉ. अम्बेडकर वार्ड
42.	पामगढ़	पामगढ़	कुर्मीपारा
43.	पामगढ़	मुड़पार	स्कूल पारा
44.	पामगढ़	सिल्ली	राणाप्रताप चौक

(1)	(2)	(3)	(4)
45.	पामगढ़	चोरभट्टी	क्षत्रीपारा
46.	पामगढ़	भैसों	भांटापारा
47.	पामगढ़	सेमरिया	सड़कपारा
48.	पामगढ़	कोसा	पत्थरापारा
49.	पामगढ़	कोसा	उजरीपारा
50.	पामगढ़	डोंगाकहरोद	स्कूल पारा
51.	पामगढ़	डोंगाकहरोद	इंदिरा आवास
52.	पामगढ़	भिलौनी	नहरपारा
53.	पामगढ़	कोसीर	ढेढवापारा
54.	पामगढ़	धनगांव	अ. जा. मेकरी रास्ता
55.	पामगढ़	मेकरी	अ. ज. पारा
56.	पामगढ़	सिरी	नवाडीह
57.	पामगढ़	खरखौद	अ. ज. पारा
58.	पामगढ़	चुरतेला	भवेरा पारा
59.	पामगढ़	बारगांव	बडपारा
60.	पामगढ़	मेंहदी	हरदी पारा
61.	पामगढ़	बुंदेला	भवतरा रोड़
62.	पामगढ़	कोड़ाभाट	फोकटपारा
63.	पामगढ़	पनगांव	टिकरी पारा
64.	पामगढ़	मेऊ	अखराभाठा
65.	पामगढ़	तनौद	आदिवासी बस्ती
66.	पामगढ़	भुईगांव	बाजार पारा
67.	पामगढ़	खरौद	महावीर वार्ड
68.	पामगढ़	खरौद	संतोषी मां वार्ड 10

(1)	(2)	(3)	(4)
69.	नवागढ़	शिवरीनारायण	जनकपुर वार्ड
70.	नवागढ़	शिवरीनारायण	अग्रसेन वार्ड
71.	नवागढ़	शिवरीनारायण	निषाद वार्ड
72.	नवागढ़	शिवरीनारायण	मठमंदिर वार्ड
73.	नवागढ़	शिवरीनारायण	भगवान पारा
74.	नवागढ़	शिवरीनारायण	महात्मा गांधी वार्ड
75.	नवागढ़	शिवरीनारायण	पं. नेहरूजी वार्ड
76.	नवागढ़	शिवरीनारायण	सुभाष वार्ड
77.	नवागढ़	शिवरीनारायण	अम्बेडकर वार्ड
78.	नवागढ़	शिवरीनारायण	ठाकुरदेव वार्ड
79.	नवागढ़	शिवरीनारायण	नागबाबा वार्ड
80.	नवागढ़	शिवरीनारायण	सेठी नगर वार्ड
81.	नवागढ़	नैला जांजगीर (वार्ड 1)	(वार्ड 1) क्रमांक - 1
82.	नवागढ़	नैला जांजगीर (वार्ड 1)	(वार्ड 1) क्रमांक - 2
83.	नवागढ़	नैला जांजगीर (वार्ड 2)	(वार्ड 2) क्रमांक - 1
84.	नवागढ़	नैला जांजगीर (वार्ड 2)	(वार्ड 2) क्रमांक - 2
85.	नवागढ़	नैला जांजगीर (वार्ड 3)	(वार्ड 3) क्रमांक - 1
86.	नवागढ़	नैला जांजगीर (वार्ड 4)	(वार्ड 4) क्रमांक - 1
87.	नवागढ़	नैला जांजगीर (वार्ड 4)	(वार्ड 4) क्रमांक - 2
88.	नवागढ़	नैला जांजगीर (वार्ड 5)	(वार्ड 5) क्रमांक - 1
89.	नवागढ़	नैला जांजगीर (वार्ड 6)	(वार्ड 6) क्रमांक - 1
90.	नवागढ़	नैला जांजगीर (वार्ड 6)	(वार्ड 6) क्रमांक - 2
91.	नवागढ़	नैला जांजगीर (वार्ड 7)	(वार्ड 7) क्रमांक - 1
92.	नवागढ़	नैला जांजगीर (वार्ड 7)	(वार्ड 7) क्रमांक - 1

(1)	(2)	(3)	(4)
93.	नवागढ़	नैला जांजगीर (वार्ड 8)	(वार्ड 8) क्रमांक-1
94.	नवागढ़	नैला जांजगीर (वार्ड 9)	(वार्ड 9) क्रमांक-1
95.	नवागढ़	नैला जांजगीर (वार्ड क्रमांक 10)	(वार्ड 10) क्रमांक-1
96.	नवागढ़	नैला जांजगीर (वार्ड क्रमांक 10)	(वार्ड 10) क्रमांक-2
97.	नवागढ़	नैला जांजगीर (वार्ड 11)	(वार्ड 11) क्रमांक-1
98.	नवागढ़	नैला जांजगीर (वार्ड 12)	(वार्ड 12) क्रमांक-1
99.	नवागढ़	नैला जांजगीर (वार्ड 12)	(वार्ड 12) क्रमांक-2
100.	नवागढ़	नैला जांजगीर (वार्ड क्रमांक 13)	(वार्ड 13) क्रमांक-1
101.	नवागढ़	नैला जांजगीर (वार्ड क्रमांक 13)	(वार्ड 13) क्रमांक-2
102.	नवागढ़	नैला जांजगीर (वार्ड क्रमांक 14)	(वार्ड 14) क्रमांक-1
103.	नवागढ़	नैला जांजगीर (वार्ड 14)	(वार्ड 14) क्रमांक-2
104.	नवागढ़	नैला जांजगीर (वार्ड 15)	(वार्ड 15) क्रमांक-1
105.	नवागढ़	नैला जांजगीर (वार्ड 15)	(वार्ड 15) क्रमांक-2
106.	नवागढ़	नैला जांजगीर (वार्ड 16)	(वार्ड 16) क्रमांक-1
107.	नवागढ़	नैला जांजगीर (वार्ड 16)	(वार्ड 16) क्रमांक-2
108.	नवागढ़	नैला जांजगीर (वार्ड 17)	(वार्ड 17) क्रमांक-1
109.	नवागढ़	नैला जांजगीर (वार्ड 17)	(वार्ड 17) क्रमांक-1
110.	नवागढ़	नैला जांजगीर (वार्ड 18)	(वार्ड 18) क्रमांक-1
111.	नवागढ़	नैला जांजगीर (वार्ड 18)	(वार्ड 18) क्रमांक-2
112.	नवागढ़	नैला जांजगीर (वार्ड 19)	(वार्ड 19) क्रमांक-1
113.	नवागढ़	नैला जांजगीर (वार्ड 19)	(वार्ड 19) क्रमांक-2
114.	नवागढ़	नैला जांजगीर (वार्ड 20)	(वार्ड 20) क्रमांक-1
115.	नवागढ़	नैला जांजगीर (वार्ड 20)	(वार्ड 20) क्रमांक-2
116.	नवागढ़	नैला जांजगीर (वार्ड 21)	(वार्ड 21) क्रमांक-1

(1)	(2)	(3)	(4)
117.	नवागढ़	नैला जांजगीर (वार्ड 21)	(वार्ड 21) क्रमांक - 2
118.	डभरा	सुखापाली	भाठापारा
119.	डभरा	केनाभाठा	सारथी मोहल्ला

परिशिष्ट “दस”

[तारांकित प्रश्न संख्या 20 (क्र. 1817) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

क्र. (1)	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (2)	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (3)	उप स्वास्थ्य केन्द्र (4)
1.	पिथौरा	पिरदा	टेका
2.	बसना	भिथीडीह	मेमरा
3.		सांकरा	भिथीडीह
4.		बम्हनी	गोपालपुर
5.		सल्डीह	अनसूला
6.		बरोली	किशनपुर
7.			जम्हर
8.			सरकड़ा
9.			सांकरा
10.			परसवानी
11.			सुखीपाली
12.			सागुनढाप
13.			बड़ेटेमरी
14.			भगतदेवरी
15.			सल्डीह
16.			छोटेलेोरम
17.			लारीपुर
18.			मोहगांव
19.			रेमड़ा
20.			पिरदा
21.			कोटगढ़
22.			भस्करापाली
23.			जगदीशपुर
24.			सावित्रीपुर
25.			ढाबाखार
26.			पथरला
27.			बरनईदादर
28.			आरंगी
29.			बम्हनी
30.			अरेकेल
31.			रसोड़ा
32.			बरगांव
33.			गढ़पटनी
34.			हबेकांटा
35.			नवगढ़ी
36.			कोलिहादेवरी
37.			अजगरखार
38.			सिंघनपुर
39.			मोहका
40.			बड़ेटेमरी

(1)	(2)	(3)	(4)
41.			गढ़फुलझर
42.			बड़ेडाभा
43.			चिमरकेल
44.			कायतपाली
45.			अकोरी
46.			बरोली
47.			मेदनीपुर
48.			बिछिया
49.			गणेशपुर
50.			कुदारीबाहरा
51.			इंदरपुर
52.			धनापाली

प्रपत्र “ब”

क्र. (1)	स्वास्थ्य केन्द्र का नाम (2)	स्वीकृत (3)	कार्यरत (4)
1.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पिथौरा	8	4
2.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बसना	8	2
3.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पिरदा	2	1
4.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भिथीडीह	2	1
5.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सांकरा	2	1
6.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बम्हनी	2	0
7.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सल्डीह	2	0
8.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बरोली	2	1

नोट : उप स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सक के पद स्वीकृत नहीं होते हैं.

परिशिष्ट “ग्यारह”

[तारांकित प्रश्न संख्या 21 (क्र. 1823) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

क्र. (1)	जिले का नाम (2)	सरकारी अस्पताल (3)	निजी अस्पताल (4)
1.	जगदलपुर (नारायणपुर)	18	2
2.	बिलासपुर	13	13
3.	दन्तेवाड़ा (बीजापुर)	10	1
4.	धमतरी	5	6
5.	दुर्ग	13	15
6.	जांजगीर	10	6
7.	जशपुर	09	0
8.	कांकेर	10	3
9.	कवर्धा	4	0
10.	कोरबा	5	8
11.	कोरिया	6	0
12.	महासमुंद	5	3
13.	रायगढ़	8	3
14.	रायपुर	22	43
15.	राजनांदगांव	10	3
16.	सरगुजा	21	4
योग		169	110

प्रपत्र “ब”

क्र. (1)	जिले का नाम (2)	जारी किये गये स्मार्ट कार्ड की संख्या (3)
1.	जगदलपुर (नारायणपुर सहित)	20361
2.	बिलासपुर	61544
3.	दन्तेवाड़ा (बीजापुर सहित)	262
4.	धमतरी	17306
5.	दुर्ग	130846
6.	जांजगीर	30889
7.	जशपुर	0
8.	कांकेर	17637
9.	कवर्धा	19281
10.	कोरबा	35416
11.	कोरिया	6139
12.	महासमुंद	28964
13.	रायगढ़	32409
14.	रायपुर	90800
15.	राजनांदगांव	42694
16.	सरगुजा	60508

परिशिष्ट “बारह”

[तारांकित प्रश्न संख्या 22 (क्र. 1826) के भाग (क) एवं (ग) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

क्र. (1)	विधान सभा क्षेत्र का नाम (2)	जारी किये गये स्मार्ट कार्ड की संख्या (3)
1.	खैरागढ़	9600
2.	डोंगरगढ़	5167
3.	राजनांदगांव	11974
4.	डोंगरगांव	2734
5.	खुज्जी	8919
6.	मानपुर, मोहल्ला	4300
कुल		42694

प्रपत्र “ब”

क्र. (1)	अस्पताल का नाम (2)	शासकीय/निजी (3)
1.	जिला चिकित्सालय, राजनांदगांव	शासकीय
2.	सिविल अस्पताल, खैरागढ़	शासकीय
3.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, घुमका	शासकीय
4.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, डोंगरगांव	शासकीय
5.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मोहला	शासकीय
6.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मानपुर	शासकीय
7.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अंबागढ़ चौकी	शासकीय
8.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, डोंगरगढ़	शासकीय
9.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, छुईखदान	शासकीय
10.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, छुरियाकला	शासकीय
11.	सिटी अस्पताल लालबाग, राजनांदगांव	निजी
12.	पारख नर्सिंग होम, लालबाग, राजनांदगांव	निजी
13.	मिशन अस्पताल पी. टी. एस., राजनांदगांव	निजी
14.	विश केयर आई केयर अस्पताल, भरकापारा, राजनांदगांव	निजी

परिशिष्ट “तेरह”

[तारांकित प्रश्न संख्या 25 (क्र. 416) के भाग (क) की जानकारी]

अकलतरा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत उप स्वास्थ्य केन्द्र

क्र. (1)	विकासखंड का नाम (2)	उप स्वास्थ्य केन्द्र का नाम (3)
1.	अकलतरा	तिलई
2.		कटनई
3.		सांकर
4.		नरियरा
5.		तरौद
6.		रसेड़ा
7.		कटघरी
8.		पिपरदा
9.		भैंसतरा
10.		अर्जुनी
11.		कापन
12.		हरदी
13.		कोटमीसोनार
14.		अकलतरी
15.		तागा
16.		पौना
17.		झलमला
18.		अमोरा
19.		अकलतरा (ए)
20.		अकलतरा (बी)
21.		सुअरमाल
22.		परसाईबाना
23.		परसाईनाला
24.	बलौदा	पहरिया
25.		जर्वे (ब)
26.		बुडगहन
27.		बछौद
28.		डोंगरी
29.		जुनाडीह
30.		रसौटा
31.		खैजा
32.		गतवा
33.		खिसोरा
34.		बलौदा (ए)
35.		बलौदा (बी)
36.		औराईकला
37.		पोंच
38.		पंतोरा
39.		कुरमा
40.		देवरी

नियम 46 (2) के अन्तर्गत परिवर्तित अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट “चौदह”

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 2 (क्र. 1651) के भाग (क) की जानकारी]

भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी द्वारा संचालित दवा दुकान के संचालन हेतु नियम व शर्तें

अ. संस्था द्वारा स्वयं के संसाधन से प्रबंधक नियुक्त तथा दवा दुकान जाये जाने पर :—

1. मेडिकल स्टोर की सेवा प्रतिदिन 24 घन्टे उपलब्ध रखनी होगी.
2. मेडिकल स्टोर से जो भी दवाईयां/उपकरण आदि विक्रय किये जावेंगे उनका कैश मेमो तुरंत काटा जावेगा. बिना मेमो के कोई दवाई/उपकरण नहीं बेचा जावेगा.
3. प्रतिदिन की क्रय एवं बिक्री की दवाओं को कैश बुक तथा लेजर में संधारण करना अनिवार्य होगा. साप्ताहिक आंकड़े सोसायटी में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.
4. मेडिकल स्टोर के नाम पर बैंक एकाउन्ट होगा जिसका संचालन, संचालक मेडिकल स्टोर एवं सचिव रेडक्रॉस के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा किया जावेगा.
5. दवाई दुकान में उच्च स्तर की राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त उत्पादकों की दवाईयां ही खरीदी की जावेगी.
6. दवाई कम्पनी के निर्माताओं द्वारा जो कमीशन कैश डिस्काउन्ट अथवा अतिरिक्त दवाई मुफ्त/स्कीम पर इंसेन्टिव के रूप में प्राप्त होगी, उनका हिसाब रखा जाना अनिवार्य होगा तथा यह राशि दुकान के लाभान्स में शामिल करना अनिवार्य होगा तथा इसकी अलग से पंजी संधारित करना होगा तथा कैश डिस्काउन्ट को पृथक पंजी में दर्शाना अनिवार्य होगा जो कि लाभान्स में शामिल होगा.
7. दवाईयों पर छपी रिटेल कीमत पर 5 प्रतिशत का छुट देना अनिवार्य होगा तथा सर्जिकल आयटम बाजार भाव से कम पर विक्रय करना होगा.
8. दुकान में कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या का निर्धारण अध्यक्ष, भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी ही करेंगे एवं उनका वेतनमान का निर्धारण भी वही करेंगे. दुकान में किसी भी कर्मचारी की नियुक्ति अध्यक्ष के बिना लिखित सहमति के नहीं की जा सकेगी.
9. अध्यक्ष, भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी को अधिकार होगा कि वे बिना कोई कारण बताये संचालक की सेवा को तत्काल निरस्त कर सकेंगे.
10. यदि संचालक पद छोड़ना चाहता है तो समिति को एक माह पूर्व नोटिस देकर तथा पूरा हिसाब देकर स्टॉक का भौतिक सत्यापन करवा कर ही पद मुक्त होगा, इसमें होने वाले विलम्ब एवं हानि की जवाबदारी संचालक की होगी.
11. अध्यक्ष/सचिव, कार्यकारिणी समिति, भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी अथवा उनके द्वारा मनोनीत कोई सदस्य/उप समिति/ अधिकारी को समिति की दुकान का निरीक्षण, स्टॉक सत्यापन आदि करने का अधिकार होगा.
12. दुकान का ड्रग लाइसेंस सचिव, भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी के नाम से रहेगा.
13. दवाई दुकान किसी भी स्थिति में बंद नहीं होगा, यदि संचालक को किसी कार्यवश बाहर जाना पड़ा तो सूचना देकर व छुट्टी लेकर उसकी वैकल्पिक व्यवस्था उसे स्वयं करनी होगी.
14. ड्रग लाइसेंस का नवीनीकरण कराना एवं विक्रय कर का निर्धारण कराना संचालक की जिम्मेदारी होगी. विक्रय के त्रैमासिक पत्रक एवं टेक्स संचालक द्वारा करवा कर सूचना सोसायटी को देनी होगी तथा प्रतिवर्ष चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा ऑडिट कराना अनिवार्य होगा.

15. गरीब मरीजों को सक्षम अधिकारी के आदेश पर निःशुल्क दवाई प्रदान करना होगा, तथा उसकी पंजी का संधारण करना होगा, अध्यक्ष/सचिव के अनुमोदन पर दवाईयां दी जा सकेंगी.
16. भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी द्वारा समय-समय पर दिये गये समस्त निर्देशों/आदेशों का पालन करना संचालक के लिये बाध्यकारी होगा.
17. दवाई दुकान से बेची गई दवाईयां जो कि मरीजों के पास बच जायेंगी उन सभी सीलबंद दवाओं को रसीद के साथ वापस करना अनिवार्य होगा.
18. संचालक के रूप में प्रतिमाह जो भी राशि वेतन के रूप में दिया जावेगा वह मान्य होगा.
19. दवाई दुकान में रखी सभी सामग्री जो संचालक के प्रभार से दी जावेगी रेडक्रॉस जिला शाखा की सम्पत्ति होगी, रख-रखाव की जवाबदारी संचालक की होगी, स्टॉक का भौतिक सत्यापन छः माह में एक बार करना आवश्यक होगा तथा खरीदी मूल्य पर ही वेल्यु लगाया जावेगा.
20. दवा दुकान का पूर्ण हिसाब (बिल काटना तथा आमद, विक्रय) व स्टॉक को कम्प्यूटर के माध्यम से किया जावेगा. दवाओं के क्रय से संबंधित राशि का भुगतान बैंक के माध्यम से ही किया जावेगा तथा किसी भी स्थिति में पांच हजार रुपये से अधिक की राशि संचालक अपने पास नहीं रख सकेगा. पहली जमा राशि दिन के दो बजे तक तथा उसके पश्चात् की जमा राशि दूसरे दिन बैंक खुलते ही जमा कर दिया जावेगा.

सभी दवाओं पर 5% छूट देने के पश्चात् यदि 20,000/- रुपये माहवार की आमदनी हो तो ही इस तरह की दुकान चलाये जाने की उपयोगिता है. इस आय से गरीब मरीजों की सहायता की जा सकती है.

ब. संस्था द्वारा अगर दवा दुकान Franchisee/Contract से चलाये जाने पर उपरोक्त नियम एवं शर्तों के अतिरिक्त निम्न लिखित शर्तें और लागू होगी जो निम्नानुसार है :-

1. आवेदक (संचालक) को 10 लाख रु. की बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी तथा इस संबंध में एक इकरारनामा संपादित करना होगी जिसके तहत किसी भी नियम एवं शर्तों के उल्लंघन से संस्था को होने वाली क्षति पर बैंक गारंटी से वसूल किया जावेगा. इस दुकान को चलाने का मुख्य उद्देश्य जनसाधारण को कम कीमत पर दवा उपलब्ध कराने के पश्चात् कम से कम 20 हजार रुपये या अधिक की आय होने पर उस राशि से जरूरतमंद लोगों की सहायता प्रदान करना होगा.
2. दवा दुकान का सम्भावित लाभान्स जो संस्था द्वारा निर्धारित किया जावेगा उस राशि का भुगतान संचालक द्वारा अग्रिम बैंक द्वारा किया जावेगा.
3. दवा की खरीदी संचालक को अपने स्वयं के संसाधन से करनी होगी तथा उसके भुगतान की संपूर्ण जिम्मेदारी संचालक को स्वयं की होगी.
4. आवेदक एवं आवेदक के रिश्तेदार के तरफ संस्था को बकायादार नहीं होना चाहिये.
5. कार्यकारिणी समिति द्वारा लिये गये निर्णय संचालक पर बंधक कारी होगा तथा कार्यकारिणी के सदस्यों को समय-समय पर दुकान का निरीक्षण करने का अधिकार होगा.
6. उपरोक्त शर्तें मान्य होने पर इकरार पत्र निष्पादित करना अनिवार्य होगा. उक्त नियम एवं शर्तें एक वित्तीय वर्ष के लिये ही वैध होगी अर्थात् 31 मार्च, 2006 तक वैध होगी.

श्री

कलेक्टर/सचिव

जिला रेडक्रॉस सोसायटी

अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट “पंद्रह”

[अतारांकित प्रश्न संख्या 03 (क्र. 452) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

794

राजस्व पुस्तक परिपत्र

[खण्ड चार-क्रमांक 3-(अ)

सूत्रीय क्रियान्वयन विभाग द्वारा ज्ञापन क्रमांक 1940/1169/20 सूत्र/का/43/82 अवलोकनीय है.

मध्यप्रदेश शासन
20 सूत्र क्रियान्वयन विभाग

ज्ञापन

क्रमांक 1940/1169/20 सूत्र/का/43/82

भोपाल, 19-8-82

एडवोकेट एक्ट, 1961 की धारा 30 (1) के अनुसार एडवोकेट्स को समिति के समक्ष पैरवी के लिए अधिकार स्वरूप उपस्थित होने का हक है.

व्ही. जी. सुब्रमणियम
अवर सचिव,
20 सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग

(44) भूतपूर्व सैनिक को भूमि वंटन बाबत संशोधन— म. प्र. शासन, राजस्व (शाखा-2) विभाग द्वारा इस विभाग के ज्ञापन क्र. 2242-16-4-शाखा-2 दिनांक 7-11-79 के द्वारा म. प्र. शासन राजस्व (शाखा-2) विभाग द्वारा पूर्व जारी ज्ञापन क्र. 1490-363-83-सात-शाखा-2 दिनांक 9-8-83 निरस्त करते हुये राजस्व पुस्तक परिपत्र 4 (3) की कंडिका 3 में संशोधन किया गया है. यह ज्ञापन इस प्रकार है—

मध्यप्रदेश शासन
राजस्व (शाखा-2) विभाग

क्रमांक 1490-363-83-सात-शाखा-2,

भोपाल, 9-8-1983.

प्रति,

समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश,

विषय :— भूतपूर्व सैनिक को भूमि वंटन के सम्बन्ध में राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड चार क्रमांक 3, कृषि प्रयोजनों के लिये शासकीय भूमि का वंटन के अन्तर्गत संशोधन.

संदर्भ :— इस विभाग का ज्ञापन क्रमांक 2242-1641-79-सात-शाखा-2, दिनांक 7-11-79

राज्य शासन के समक्ष यह विचाराधीन था कि नान कमीशण्ड भूतपूर्व सैनिकों को राजस्व पुस्तक परिपत्र 4-3 में भूमि वंटन करने का प्रावधान नहीं है. शासन के आदेश दिनांक 7-11-79 में दिये गये निर्देशों के अनुसार भूमि वंटन भूतपूर्व सैनिकों को किये जाने के निर्देश हैं. राजस्व पुस्तक परिपत्र 4-3 में नान-कमीशण्ड भूतपूर्व सैनिकों को भूमि वंटन का प्रावधान न होने से संदेह हो रहा था. अतः शासन ने अब यह निर्णय

लिया है कि नान-कमीशण्ड भूतपूर्व सैनिकों को कृषि योग्य भूमि का वंटन हेतु राजस्व पुस्तक परिपत्र 4-3 में ही प्रावधान दिया जाए. अतः इस विभाग के ज्ञापन क्रमांक 2242-16-4 शाखा-2, दिनांक 7-11-79 को निरस्त करते हुए राजस्व पुस्तक परिपत्र 4-3 की कंडिका 3 में नियमानुसार संशोधन किये जाते हैं :-

परन्तु—“नान-कमीशण्ड भूतपूर्व सैनिक जो उसी तहसील के निवासी हों जिसमें उन्हें भूमि आवंटित की जावेगी.” कंडिका 3 (क) (ख) में दी गई प्राथमिकतायें ऐसे प्रकरणों में लागू नहीं होंगी और इन्हें प्राथमिकता पर भूमि वंटित की जावेगी.

“नान-कमीशण्ड भूतपूर्व सैनिक” की परिभाषा निम्नानुसार रहेगी.—

“नान-कमीशण्ड भूतपूर्व सैनिक” से तात्पर्य संघ की नौ सेना, थल सेना, वायु सेना या किसी अन्य सशस्त्र सेना के सेवानिवृत्त या छटनी किये गये “भूमिहीन” जूनियर कमीशण्ड आफिसर अथवा नान-कमीशण्ड आफिसर अथवा म. प्र. विशेष सशस्त्र बल के सेवानिवृत्त “भूमिहीन” सदस्य से है जिसकी मासिक पेंशन 325 रु. से अधिक न हो. इसमें उक्त सेना-बल के ऐसे सदस्य के आश्रित भी सम्मिलित हैं, जो 15 अगस्त, 1947 के बाद युद्ध में मारे गये हों.

(2) विलीनीकृत राज्यों की सेनाओं के सैनिक अब भूमि पाने के पात्र नहीं होंगे.

(3) ऐसे नान-कमीशण्ड भूतपूर्व सैनिकों को ही भूमि वंटन की पात्रता होगी जो इस परिपत्र में दी गई परिभाषा के अनुसार मध्यप्रदेश के वास्तविक निवासी हों.

(4) नान-कमीशण्ड भूतपूर्व सैनिकों को भूमि वंटन के अधिकार कलेक्टर को होंगे.

(5) जिले में उपलब्ध शासकीय कृषि योग्य भूमि में से भूतपूर्व सैनिकों को प्रति परिवार 6 एकड़ (दो हैक्टर तक) असिंचित अथवा 2.60 एकड़ (एक हैक्टर तक) सिंचित भूमि वंटित की जा सकेगी. इस सीमा में उनके द्वारा पूर्व में अतिक्रमित यदि कोई भूमि हो तथा जिसके व्यवस्थापन की वह पात्रता रखता हो और उसकी खुद की भूमि क्षेत्रफल भी समायोजित किया जावेगा.

(6) भूमि पट्टे की शर्तें एवं फार्म इस परिपत्र में दिये गये निर्देशों के अनुसार ही होंगे.

(7) कृषि वंटन के संबंध में कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध 45 दिन की अवधि के भीतर अपील संबंधित संभागीय कमिश्नरों को प्रस्तुत की जा सकेगी तथा वे उसका निराकरण करेंगे.

(8) राज्य शासन स्वयं किसी भी समय किसी भी अधिकारी के समक्ष विचाराधीन या उनके द्वारा पारित किये गये किसी भी आदेश के औचित्य के संबंध में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिये किसी भी मामले का अभिलेख मंगा सकेगा, उनकी जांच कर सकेगा तथा उसके संबंध में ऐसा आदेश जारी कर सकेगा जिसके वह यदि आवश्यक समझे. ऐसा करने में वह यदि आवश्यक समझे तो संबंधित पक्षों की सुनवाई का अवसर भी प्रदान करेगा, परन्तु किसी भी पक्षकार को राज्य शासन के समक्ष अपील, निगरानी या पुनरावलोकन प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रघुनाथ प्रसाद,
सचिव.

प्रपत्र “ब”

क्रमांक (1)	जिला (2)	वित्तीय वर्ष (3)	सेवानिवृत्त सैनिकों की संख्या (4)	कितनी जमीन (5)
1.	रायपुर	2007-08	2	1.22 हे. 1.32 हे. एवं 0.30 हे.
		2008-09	निरंक	-
		2009-10	निरंक	-
2.	धमतरी	2007-08	निरंक	-
		2008-09	निरंक	-
		2009-10	निरंक	-
3.	कोरबा	2007-08	निरंक	-
		2008-09	निरंक	-
		2009-10	निरंक	-
4.	जांजगीर-चांपा	2007-08	निरंक	-
		2008-09	2	5.00 एकड़ 2.50 एकड़
		2009-10	निरंक	-
5.	सरगुजा	2007-08	निरंक	-
		2008-09	निरंक	-
		2009-10	निरंक	-
6.	जशपुर	2007-08	निरंक	-
		2008-09	निरंक	-
		2009-10	निरंक	-
7.	महासमुंद	2007-08	निरंक	-
		2008-09	निरंक	-
		2009-10	निरंक	-
8.	रायगढ़	2007-08	निरंक	-
		2008-09	निरंक	-
		2009-10	निरंक	-
9.	बिलासपुर	2007-08	निरंक	-
		2008-09	निरंक	-
		2009-10	निरंक	-
10.	राजनांदगांव	2007-08	निरंक	-
		2008-09	निरंक	-
		2009-10	निरंक	-
11.	दुर्ग	2007-08	2	2.00 हे. असिंचित
		2008-09		0.34 हे. कृषि भूमि
		2009-10	निरंक	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12.	कोरिया	2007-08	निरंक	-
		2008-09	निरंक	-
		2009-10	निरंक	-
13.	दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	2007-08	निरंक	-
		2008-09	निरंक	-
		2009-10	निरंक	-
14.	कांकेर	2007-08	निरंक	-
		2008-09	निरंक	-
		2009-10	निरंक	-
15.	बस्तर	2007-08	निरंक	-
		2008-09	निरंक	-
		2009-10	निरंक	-
16.	बीजापुर	2007-08	निरंक	-
		2008-09	निरंक	-
		2009-10	निरंक	-
17.	नारायणपुर	2007-08	निरंक	-
		2008-09	निरंक	-
		2009-10	निरंक	-
18.	कबीरधाम	2007-08	निरंक	-
		2008-09	निरंक	-
		2009-10	निरंक	-

परिशिष्ट “सोलह”

[अतारांकित प्रश्न संख्या 04 (क्र. 1275) की जानकारी]

क्रमांक (1)	जिले का नाम (2)	विशेषज्ञ		चिकित्सा अधिकारी	
		स्वीकृत (3)	कार्यरत (4)	स्वीकृत (5)	कार्यरत (6)
1.	धमतरी	26	9	76	37
2.	कोरिया	30	10	104	24
3.	कोरबा	45	11	155	42
4.	कांकेर	44	10	102	56
5.	कवर्धा	31	11	70	22
6.	महासमुंद	31	10	90	38
7.	बिलासपुर	65	35	217	132
8.	रायपुर	80	40	241	172
9.	रायगढ़	49	26	164	80
10.	राजनांदगांव	48	19	135	64
11.	सरगुजा	98	18	258	91
12.	दुर्ग	80	32	213	160
13.	दंतेवाड़ा	36	6	79	37
14.	जशपुर	42	6	112	62
15.	जांजगीर	44	6	117	62
16.	जगदलपुर	52	13	167	87
17.	नारायणपुर	15	1	33	8
18.	बीजापुर	12	1	32	12
योग		828	264	2365	1186

परिशिष्ट “सत्रह”

[अतारांकित प्रश्न संख्या 05 (क्र. 1385) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

क्रमांक (1)	तहसील का नाम (2)	पटवारी हल्कों की संख्या (3)
1.	अकलतरा	24
2.	बलौदा	16
3.	जांजगीर	17
4.	नवागढ़	25
5.	पामगढ़	27
6.	चाम्पा	27
7.	सक्ती	20
8.	जैजैपुर	30
9.	मालखरौदा	20
10.	डभरा	26
योग		232

प्रपत्र "ब"

क्रमांक (1)	पटवारी हल्का नम्बर एवं मुख्यालय (2)	पटवारी हल्का रिक्त रहने की अवधि (3)
1.	03 बोरसी	दिनांक 21-11-2009 से
2.	04 जेवरा	दिनांक 21-11-2009 से
3.	08 सिरली	दिनांक 01-10-2007 से
4.	09 डुडगा	दिनांक 01-10-2007 से
5.	15 धनगांव	दिनांक 01-10-2007 से
6.	20 तनौद	दिनांक 01-10-2007 से
7.	21 खोरसी	दिनांक 01-10-2007 से
8.	23 मेड	दिनांक 01-10-2007 से

परिशिष्ट “अट्टारह”

[अतारांकित प्रश्न संख्या 06 (क्र. 1386) की जानकारी]

वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में 31 दिसम्बर, 2009 तक महिला एवं बाल विकास विभाग को केन्द्र शासन से प्राप्त राशि एवं व्यय का विवरण निम्नानुसार है :—

					(राशि लाख रु. में)
क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2008-09 में केन्द्र शासन से प्राप्त राशि	वर्ष 2008-09 में व्यय	वर्ष 2009-10 में केन्द्र शासन से 31 दिसम्बर, 2010 तक प्राप्त राशि	31 दिसम्बर 2009 तक व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	पूरक पोषण आहार योजना	5429.43	9181.20	5369.58	5469.64
2.	एन.पी.ए.जी. योजना	0.00	0.00	196.93	0.00
3.	एकीकृत बाल विकास प्रशिक्षण योजना	206.81	237.29	295.20	180.39
4.	एकमुश्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	1500.00	0.00	1500.00	0.00
5.	किशोरी शक्ति योजना	167.20	172.98	86.90	38.37
6.	समेकित बाल विकास सेवा योजना का संचालन.	8992.46	12051.94	11202.49	9731.63
7.	धनलक्ष्मी योजना	186.74	0.00	0.00	0.00
योग		16482.64	21643.41	18651.10	15420.03

* वर्ष 2008-09 में कुछ केन्द्र प्रवर्तित एवं केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाओं में केन्द्र शासन से प्राप्त राशि से व्यय अधिक है. योजनाओं में व्यय भारत शासन के निर्देशों के अनुरूप है. इन योजनाओं में सहायता प्रतिपूर्ति के आधार पर प्राप्त होती है. अतः व्यय की जानकारी भारत शासन को भेजे जाने पर अतिरिक्त व्यय राशि की प्रतिपूर्ति आगामी आवंटन में कर दी जाती है.

परिशिष्ट “उन्नीस”

[अतारांकित प्रश्न संख्या 7 (क्र. 1417) के भाग (ख) की जानकारी]

जिला-जांजगीर-चांपा के विकासखण्डवार स्वीकृत एवं कार्यरत पदों की सूची

स. क्र.	शास.आयु.औष.	चिकित्सक		कम्पाउण्डर		दाई		औषधालय सेवक		अंशकालीन स्वच्छक	
		स्वीकृत	कार्यरत	स्वीकृत	कार्यरत	स्वीकृत	कार्यरत	स्वीकृत	कार्यरत	स्वीकृत	कार्यरत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	अकलतरा	1	1	1	1			1	1	1	रिक्त
2.	ओड़ेकेरा	1	1	1	1			1	रिक्त	1	1
3.	हसौद	1	1	1	1			1	1	1	1
4.	किकिरदा	1	1	1	1			1	1	1	1
5.	कचंदा	1	1	1	1			1	1	1	1
6.	ठठारी	1	1	1	1			1	1	1	1
7.	नरियरा	1	1	1	1			1	1	1	1
8.	सुलौनी	1	1	1	1			1	1	1	1
9.	सिंघरा	1	रिक्त	1	1			1	1	1	1
10.	सकर्गा	1	1	1	1			1	1	1	1
11.	छपोरा	1	1	1	1			1	रिक्त	1	रिक्त
12.	पंतोरा	1	1	1	1			1	1	1	1
13.	महुदा	1	रिक्त	1	1			1	1	1	रिक्त
14.	कमरीद	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15.	खिसोरा	1	1	1	1	1	रिक्त	1	1	1	1
16.	पंचगवा	1	1	1	1			1	1	1	1
17.	बुड़गहन	1	1	1	1			1	1	1	1
18.	कांसा	1	1	1	1			1	1	1	1
19.	सपोस	1	1	1	1			1	1	1	1
20.	किरारी	1	1	1	1			1	रिक्त	1	1
21.	सकराली	1	1	1	1			1	1	1	1
22.	कटेकोनी	1	1	1	1			1	रिक्त	1	1
23.	देवरघटा	1	1	1	1			1	1	1	1
24.	बुंदेला	1	1	1	1			1	1	1	1
25.	राहौद	1	1	1	1			1	1	1	1
26.	कोसा	1	1	1	1			1	1	1	1
27.	मुलमुला	1	1	1	1			1	1	1	1
28.	मेउ	1	रिक्त	1	1			1	1	1	रिक्त
29.	खरौद	1	1	1	1			1	1	1	1
30.	जाजंग	1	1	1	1			1	रिक्त	1	1
31.	अमलडीह	1	1	1	1	1	रिक्त	1	1	1	1
32.	जर्वे	1	1	1	1			1	1	1	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
33.	बरपालीकला	1	1	1	1			1	1	1	1
34.	खैरा	1	1	1	1			1	रिक्त	1	1
35.	जुड़गा	1	1	1	1			1	1	1	1
36.	कटघरी	1	1	1	1			1	1	1	1
37.	चंगोरी	1	1	1	1			1	1	1	1
38.	खटोला	1	1	1	रिक्त	1	1	1	1	1	1
39.	कोटमीसोनार	1	1	1	1			1	रिक्त	1	1
40.	तरौद	1	1	1	1			1	1	1	1
41.	नरियरा	1	1	1	1			1	1	1	1
42.	हरदी	1	1	1	1			1	रिक्त	1	1
43.	झरना	1	1	1	1			1	रिक्त	1	1
44.	बिरा	1	1	1	1			1	1	1	1
45.	लखाली	1	रिक्त	1	1			1	रिक्त	1	1
46.	पोंडीशंकर	1	1	1	1			1	रिक्त	1	1
47.	गोधना	1	1	1	1			1	रिक्त	1	1
48.	केरा	1	रिक्त	1	1			1	1	1	1
49.	भटली	1	1	1	1			1	रिक्त	1	रिक्त
50.	नवागढ़	1	1	1	1			1	1	1	1
51.	कनस्दा	1	1	1	1			1	रिक्त	1	1
52.	धाराशिव	1	1	1	1			1	रिक्त	1	रिक्त
53.	धुरकोट	1	1	1	1			1	1	1	1
54.	जांजगीर	1	1	1	1			1	1	1	रिक्त
योग		54	49	54	53	4	2	54	39	54	47

परिशिष्ट “बीस”
[अतारांकित प्रश्न संख्या 09 (क्र. 1622) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजनांतर्गत स्वीकृत/अस्वीकृत हितग्राहियों की सूची जनपद पंचायत बरमकेला वर्ष 2007-08

क्रमांक (1)	आवेदन दिनांक (2)	प्राप्त आवेदन (3)	निराकरण दिनांक (4)	स्वीकृत (5)	भुगतान (6)	अस्वीकृत (7)
1.	02-04-2007	04	14-05-2007	04	04	0
2.	02-05-2007	03	06-12-2007	02	02	01
3.	05-05-2007	03	06-12-2007	03	03	0
4.	08-05-2007	03	06-12-2007	03	03	0
5.	09-05-2007	02	06-12-2007	02	02	0
6.	12-05-2007	02	06-12-2007	02	02	0
7.	22-05-2007	10	06-12-2007	07	07	03
8.	24-05-2007	05	06-12-2007	05	05	0
9.	06-06-2007	04	06-12-2007	03	03	01
10.	07-06-2007	07	06-12-2007	03	03	04
11.	09-07-2007	12	11-02-2007	10	10	02
12.	12-07-2007	01	11-02-2007	01	01	0
13.	16-07-2007	02	11-02-2007	02	02	0
14.	19-07-2007	02	11-02-2007	02	02	0
15.	23-07-2007	02	11-02-2007	02	02	0
16.	25-07-2007	01	11-02-2007	01	01	0
17.	27-07-2007	03	11-02-2007	02	02	01
18.	02-08-2007	01	11-02-2007	0	0	01
19.	03-08-2007	01	11-02-2007	01	01	0
20.	10-08-2007	03	11-02-2007	03	03	0
21.	24-08-2007	02	11-02-2007	02	02	0
22.	01-09-2007	03	11-02-2007	03	03	0
23.	13-09-2007	02	11-02-2007	02	02	0
24.	17-09-2007	03	11-02-2007	0	0	03
25.	19-09-2007	14	11-02-2007	09	09	05
26.	25-09-2007	02	11-02-2007	02	02	0
योग		97		76	76	21

प्रपत्र "ब"

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजनांतर्गत स्वीकृत/अस्वीकृत हितग्राहियों की सूची जनपद पंचायत बरमकेला वर्ष 2008-09

क्रमांक (1)	आवेदन दिनांक (2)	प्राप्त आवेदन (3)	निराकरण दिनांक (4)	स्वीकृत (5)	भुगतान (6)	अस्वीकृत (7)
1.	06-05-2008	05	03-09-2008 व 27-09-2008	04	04	01
2.	07-05-2008	05	27-09-2008	04	04	01
3.	09-05-2008	01	27-09-2008	01	01	0
4.	10-05-2008	02	27-09-2008	01	01	01
5.	16-05-2008	01	27-09-2008	0	0	01
6.	18-05-2008	01	27-09-2008	01	01	0
7.	19-05-2008	02	27-09-2008	02	02	0
8.	19-06-2008	02	27-09-2008	02	02	0
9.	09-06-2008	05	27-09-2008	02	02	03
10.	02-07-2008	13	09-03-2009	13	13	0
11.	07-07-2008	02	09-03-2009	02	02	0
12.	11-08-2008	11	09-03-2009	07	07	04
13.	12-08-2008	06	09-03-2009	01	01	05
14.	18-08-2008	05	09-03-2009	05	05	0
15.	03-10-2008	03	19-08-2009	02	02	01
16.	07-10-2008	05	19-08-2009	02	02	03
17.	14-10-2008	05	19-08-2009	03	03	02
18.	20-10-2008	11	19-08-2009	09	09	02
19.	24-10-2008	08	19-08-2009	06	06	02
20.	29-10-2008	02	19-08-2009	01	01	01
21.	11-12-2008	01	19-08-2009	01	01	0
22.	12-12-2008	01	19-08-2009	01	01	0
23.	15-12-2008	01	19-08-2009	01	01	0
24.	19-12-2008	01	19-08-2009	0	0	01
25.	23-12-2008	01	19-08-2009	01	01	0
26.	27-12-2008	05	19-08-2009	04	04	01
योग		105		76	76	29

परिशिष्ट “इक्कीस”

[अतारांकित प्रश्न संख्या 12 (क्र. 1749) के भाग (क) की जानकारी]

वर्ष 2009-10 में आयोजित निःशक्तजन शिविर

क्र. (1)	शिविर स्थल (2)	शिविर दिनांक एवं दिन (3)
1.	जनपद पंचायत परिसर, पुसौर	13-02-2010 (शनिवार)
2.	जनपद पंचायत परिसर, धरमजयगढ़	14-02-2010 (रविवार)
3.	जनपद पंचायत परिसर, बरमकेला	17-02-2010 (बुधवार)
4.	जनपद पंचायत परिसर, तमनार	20-02-2010 (शनिवार)
5.	जनपद पंचायत परिसर, घरघोड़ा	24-02-2010 (बुधवार)
6.	जनपद पंचायत परिसर, लैलूंगा	25-02-2010 (गुरुवार)
7.	पंचायत सचिव प्रशिक्षण संस्थान परिसर, रायगढ़	26-02-2010 (शुक्रवार)

परिशिष्ट “बाईस”

[अतारंकित प्रश्न संख्या 16 (क्र. 1822) के भाग (क) की जानकारी]

रायपुर जिला

क्रमांक (1)	संस्था का नाम (2)	नर्सिंग कॉलेज संचालित तिथि (3)
1.	ग्रेसियस कॉलेज ऑफ नर्सिंग, रायपुर	14 फरवरी, 2005
2.	सृष्टि कॉलेज ऑफ नर्सिंग, रायपुर	30-08-2006
3.	सी. जी. कालेज, रायपुर	30 जून, 2009
4.	आर. आई. टी. ई. ई. कालेज आफ नर्सिंग, रायपुर	वर्ष 2008-2009
5.	आदर्श नर्सिंग इंस्टीट्यूट, रायपुर	30 अगस्त, 2008